भारतीय मजदूर संघ

महामंत्रि प्रतिवेदन

21, 22 फरवरी 1991
बडोदरा

नवम अखिल भारतीय अधिवेशन
२५, २६, २७ अक्टूबर – १९९०
कनावती अहमदाबाद

भारतीय मजदूर संघ

के

नवम अखिल भारतीय अधिवेशन

21, 22, फरवरी 1991

बडोदरा

25, 26, 27, अक्टूबर - 1990

अहमदाबाद (गुजरात)

में

महामंत्री का प्रतिवेदन

प्रतिनिधि बहनों, बन्धुओं,

इस प्राचीन पुण्य नगरी कर्णावती में (जिसे वर्तमान में अहमदाबाद कहा जाता है) भारतीय मजदूर संघ के इस नवम् अखिल भारतीय अधिवेशन में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित आप सब प्रतिनिधि बन्धुओं-बहनों का स्वागत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। आज के इस दृश्य को देखते हुए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि अपनी कार्यवृद्धि का यह मापदण्ड एवं प्रतीक है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि महिला प्रतिनिधियों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। हमारे बीच आज असंगठित मजदूर क्षेत्र, भूमिहीन मजदूरों एवं वनवासी बन्धुओं के प्रतिनिधि भी अच्छी संख्या में उपस्थित हैं। इन क्षेत्रों में अपने कार्य की गति एवं प्रगति के कारण ही ऐसा हो सका है।

इसके पूर्व के बंगलौर अधिवेशन के बाद अब तक के तीन वर्षों में भारतीय मजदूर संघ की शक्ति, मान्यता एवं प्रतिष्ठा बढ़ी है जो हम सबके लिए गौरव की बात है। परन्तु इस बीच दुर्भाग्य ने भी हमें पछाड़ा है। हमारे दो कार्यकुशल, अनुभवी एवं प्रमुख नेताओं का काल ने अपहरण कर लिया। जनवरी 1984 से मजदूर संघ के अध्यक्ष के रूप में हमारा मार्गदर्शन करने वाले, हमारे परिवार के प्रमुख, श्री मनहर भाई मेहता, अचानक ही 17 अप्रैल 1990 को इस दुनिया से विदा हुए, जो हमारे लिये एक आघात एवं दुःख का कारण बना लगभग 25 वर्षों से भी अधिक काल तक वे मजदूर संघ के कार्य से सक्रियता के साथ जुड़े रहे। चतुर, विद्वान, प्रभावी लेखक एवं प्रतिभाशाली वक्ता के रूप में अपने कार्यकर्त्ताओं का वैचारिक दृष्टि से विकास करने में उनका उल्लेखनीय योगदान रहा है।

20 सितम्बर 1988 भी हमारे लिये एक क्रूर एवं कठोर दिवस साबित हुआ कि जिस दिन हमारे संगठन मंत्री एवं "अखिल भारतीय विद्युत संघ - विद्युत मजदूरों का महासंघ - के अध्यक्ष श्री बालासाहब साठये, जोरदार हृदय विकार (हार्ट अटैक) से काल कवलित हो गए। समाज के लिए उनका जीवन पूर्णतः समर्पित था। अपने स्वास्थ्य या सुविधाओं की किंचित भी चिंता न करते हुए, वे भारत के कोने - कोने में भ्रमण करते रहे तथा मजदूर संघ का कार्य बढ़ाने हेतु स्थान-स्थान पर कार्यकर्त्ताओं से संपर्क करते रहे एवं उन्हें प्रेरित करते रहे।

हमारे लिए इन दोनों का जाना एक अपूरणीय क्षति ही है। परन्तु एक जीवित, जाग्रत एवं निरंतर प्रगतिशील संगठन के लिये यह तात्कालिक धक्का लगने और जल्दी ही होश सम्भालने वाली बात होती है। भारतीय मजदूर संघ ने भी ऐसे कठिन प्रसंगों को धैर्य से सहा है तथा होश

सम्भाल कर वह पुन: पुन: आगे बढ़ा है। मजदूर संघ रूपी इस पुल्ब से कुशल एवं कर्तृत्ववान कार्यकर्त्ता आगे भी उत्पन्न होंगे - होते रहेंगे - तथा वे अधूरे कार्य को पूर्ण करते रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं।

अपनी अखिल भारतीय कार्यकारिणी के दो सदस्य श्री बनारसी सिंह आजाद एवं श्री शिवबरन सिंह परमार, जो - "अखिल भारतीय खान मजदूर संघ" (महासंघ) के क्रमश: अध्यक्ष एवं महामंत्री थे - भी स्वर्ग सिधार गए। चार दिनों के अन्दर ही दोनों का हृदयाघात से स्वर्गवास हुआ। "नेशनल आर्गेनाईज़ेशन आफ इन्शोरेन्स वर्कर्स (महासंघ) के महामंत्री के रूप में कार्यरत श्री ब्रह्मसागर डोगरा, जिनका महासंघ की कार्यवृद्धि में बहुत बड़ा योगदान रहा, भी हमसे बिछुड़ गए। वे भी कुछ काल तक अपनी कार्यकारिणी के सदस्य रह चुके थे।

आज यहां उपस्थित हम सब उनका स्मरण करें एवं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजली अर्पित करें।

श्रद्धांजली

गत तीन वर्षों में और भी अन्य बड़े लोगों का निधन हुआ है - इन में से एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें "सीमांत गांधी" कहा जाता था। उनकी मृत्यु से शांति एवं सद्भाव के लिए प्रयत्नशील एक व्यक्तित्व उठ गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कुछ प्रमुख व्यक्ति इस बीच स्वर्गवासी हुए, जिनमें दिल्ली के संघचालक श्री प्रकाश दत्त भार्गव, एवं एक समय प्रान्त प्रचारक रहे श्री राजाभाऊ पातुरकर प्रमुख हैं।

इस बीच अनगिनत पुरुष, महिलाएं एवं बच्चों को मौत के घाट उतारने वाले अत्याचार हिंसा, एवं उग्रवाद के कारण सम्पूर्ण विश्व ही संत्रस्त रहा है। पंजाब में, अलगाववादी, उग्रवादियों ने पूरे के पूरे कई परिवार मौत के घाट उतार दिए। मोगा (पंजाब) में रा०स्व० संघ की शाखा पर हमला कर 30 लोगों की हत्या करना, यह एक घिनौनी हरकत है। कश्मीर में भी पाकिस्तान की मदद एवं सहयोग से अत्याचार एवं हिंसा का ताण्डव काफी समय से चल रहा है। देश के कई प्रान्तों में विभिन्न नाम धारण कर उग्रवादियों के संगठन कार्यरत हैं, जो असंख्य हत्याओं के लिए जिम्मेवार हैं।

बड़े भूचाल एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़े-बड़े भूभाग नष्ट हो गए एवं अनगिनत लोग दब कर मर गये। बंगलौर के निकट हुई एयरबस-320 की दुर्घटना की याद अब तक लोगों के मन में ताजी है।

हम ऐसे सभी बिछुड़े आत्माओं को अपनी श्रद्धांजली अर्पित करते हैं।

2. विश्व की घटनाओं पर एक नजर

इस पृथ्वीतल पर द्रुतगति से परिवर्तन हो रहा है। लगभग 40 वर्षों से चल रहा शीत युद्ध

MANHAR BHAI MEHTA, *President (1984-1990)*

(B-25.12.29 D. 17.4.90)

मनहर भाई मेहता, *अध्यक्ष (१९८४-१९९०)*

(ज० २५.१२.२९ मृ० १७.४.९०)

BALASAHEB SATHAYE *Org. Secy. (B-4.10.23 D. 20.9.88)*

बाला साहेब साठ्ये संगठन मंत्री (ज. ४.१०.२३ मृ० २०.९.८८)

अब समाप्त हो गया है। कृत्रिम शांति दिखाई दे रही है एवं महाशक्तियां अब युद्ध सामग्री घटानें तथा अणु-अस्त्रों को नष्ट करने पर राजी हो चुकी हैं। साम्यवादी जगत के स्वप्न का वह कथित ठोस एवं भव्य महल अब ढह चुका है। बर्लिन की वह क्रूर दीवाल जर्मनों के हृदय में जलने वाली अनवरत स्वतंत्रता की उमंग के कारण चूर चूर हो गयी है। दो जर्मनों की एकीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। तथा संभवत: एक अखण्ड जर्मन राष्ट्र पुन: अस्तित्व में आ चुका होगा। पोलैण्ड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी, चैकोस्लोवाकिया, रूमानिया, बुलगारिया, एवं कुछ अन्य देशों के निरंकुश शासकों के "ताश के महल" नष्ट हो गए। प्रजातंत्र की जोरदार लहर चल पड़ी है। एकतंत्र तानाशाही शासकों को अब तक जिंदा रखने वाली क्रूर शक्ति को राष्ट्रीयता की प्रबल भावना ने उखाड़ फैंका है। बंदिश अर्थनीति की जगह स्वतन्त्र अर्थनीति ने ली है। गत चालीस वर्षों की दुनिया का दृश्य एवं उसका दृष्टिकोण अब आमूलाग्र बदल चुका है।

साम्यवाद जर्जर हो रहा है, इतना ही नहीं तो जर्जर होकर उसका गढ़ ढह चुका है। उसके अन्तर्राष्ट्रीयता एवं वर्ग - संघर्ष के मूलभूत सिद्धान्तों की मान्यता एवं महता घट गई है। तथा राष्ट्रीयता एवं प्रजातन्त्र के सिद्धांत अधिक जोरदार ढंग से हावी हो रहे हैं। भारतीय मजदूर संघ के सब कार्यकर्त्ताओं के लिए यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। क्योंकि मजदूर संघ की स्थापना ही राष्ट्रीयता के सिद्धान्त की नींव पर हुई है और शुरू से ही मार्क्सवाद और उसका वर्ग संघर्ष का सिद्धांत हमारे लिये अमान्य रहा है। समाज की ओर देखने के हमारे दृष्टिकोण में समाज एक पूर्ण इकाई है, न कि संघर्षरत दो इकाईयों का समूह। अत: अपने कार्यकर्त्ताओं को इसका समाधान एवं आनन्द है कि इस विषय में हमारी सोच ही सही सिद्ध हुई है। आश्चर्य की बात केवल इतनी ही है कि यह सब द्रुतगति से बहुत जल्दी हो गया है।

सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले साम्यवादी राज्य रूस में भी अपेक्षा से भी अधिक गति से परिवर्तन हो रहा है। सोवियत महासंघ के प्रजातन्त्र के रूप में दबाए गए एवं शासित विभिन्न प्रजातन्त्रों ने अब अपनी स्वातंत्रता के लिए हल चल शुरू कर दी है। एवं वे सोवियत संघ से अलग होकर अपनी स्वतंत्र और सार्वभौम सत्ता की पुन:-स्थापना के लिये उतावले हो चुके हैं।

साम्यवादी शासन में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित श्रमिक संघ (ट्रेड यूनियन्स) अब यकायक स्वतंत्र हो गए हैं। इससे उनकी सोच एवं उनकी कार्यप्रणाली पर परिणाम अवश्यंभावी होगा ही जो प्रत्यक्ष यत्र-तत्र दिखाई भी दे रहा है। डब्ल्यू०एफ०टी०यू० (वर्ल्ड फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स) द्वारा आगामी नवम्बर 1990 में मास्को में आयोजित बारहवीं "वर्ल्ड ट्रेड यूनियन कांग्रेस" के प्रतिनिधियों के बीच वितरित करने हेतु जो अग्रिम मसविदा (ड्राफ्ट डाकूमेन्ट) तैयार किया गया है, वह इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। उसमें कहा गया है कि -

"विश्व में होने वाले स्वाभाविक परिवर्तन से यह स्पष्ट होता है कि श्रमिकों के "संगठन-स्वातंत्रय" के अकाट्य अधिकार सहित श्रमिक आन्दोलन के समस्त मौलिक मूल्यों की विश्व-व्यापकता स्वाभाविक है एवं अनिवार्य भी है"

"साथ ही, श्रमिक आन्दोलन की राजनैतिक दलों, धार्मिक संस्थाओं, सरकारों (शासकों) एवं मालिकों से स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता भी अनिवार्य है।"

सचमुच साम्यवादी सोच की यह पूर्णत: उल्टी गति है – इसमें संदेह नहीं।

मजदूर संघ की दृष्टि से तो यह एक सुखद परिवर्तन है।

साम्यवादी देशों में इस तरह होने वाले राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों का परिणाम विश्वभर के श्रमिक संगठनों पर अवश्य ही होगा।

ईराक एवं ईरान के बीच का लम्बे समय तक चल रहा युद्ध अब समाप्त हो चुका है। परन्तु पश्चिमी एशिया में अब भी तनाव एवं अशांति कायम है। ईराक द्वारा कुवैत पर कब्जा किये जाने के कारण पुन: तनाव बढ़ गया है एवं युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं। यह आश्चर्य की बात है कि अब तक की आपसी कटुता शत्रुता के विपरीत अमेरिका एवं रूस इस सम्बन्ध में एक मत हैं।

कुछ समय के लिये क्यों न हो, पर चीन अपने यहां जनतंत्र की आवाज दबाने में सफल हो चुका है। किन्तु वह कब तक यह कर पाएगा? मैनमार-पूर्वका बर्मा – में भी यही स्थिति है क्योंकि वहां जनतंत्र के लिये आवाज उठाने वालों को वहां के सैनिक शासन ने कुचल दिया है। यह रिपोर्ट तैयार हो रही थी तभी वहां चुनाव हो चुके थे, वहां की लोक सभा में विरोधी दल के सदस्य काफी बड़ी मात्रा में चुन कर आए, परन्तु वहां के तानाशाही सैनिक शासन ने विरोधी दल को सत्ता का हस्तांतरण नहीं किया है।

दक्षिण अफ्रीका में राजनैतिक क्षितिज से वहां के राष्ट्रपति श्री बोथा का हट जाना एवं नए राष्ट्रपति डी क्लर्क द्वारा, वहां के जेल में 26 साल से कष्ट भुगत रहे जनप्रिय नेता – श्री नेल्सन मंडेला को जेल से रिहा किये जाने से स्थिति में कुछ सुधार हुआ है। सरकार एवं अफ्रीकी नैशनल कांग्रेस (ए.एन.सी.) के बीच, सभी राजनैतिक अफ्रीकी कैदियों को रिहा किये जाने के संबंध में, एक समझौता होकर उस पर हस्ताक्षर भी हो चुके हैं। परन्तु रंगभेद की नीति समाप्त होने तक उस संबंध में लड़ाई चलती रहेगी।

दक्षिण अफ्रीका के चंगुल से मुक्त होकर नामीबिया एक स्वतंत्र देश बन चुका है।

फीजी में, भारतीय मूल के फीजी के बहुसंख्य नागरिकों की सरकार को सेना के एक गुट ने जबरदस्ती अपदस्थ कर दिया है एवं वहां के संविधान को इस तरह बदला है कि उस द्वीप में सदा ही वहां के अल्पसंख्यकों का शासन होगा।

हम एवं हमारे पड़ोसी

हमारा देश विविध एवं बहुविध समस्याओं से ग्रस्त है। नई सरकार का सर्वत्र स्वागत ही हुआ है, परन्तु शासक दल की नींव सुदृढ न होने से वह अस्थिर है एवं उस पर खतरा बना हुआ है। इससे, सरकार पांच साल तक टिकी रहेगी इसके बारे में सन्देह बना हुआ है। दूसरी ओर राष्ट्रीय एकात्मता पर आघात बढ़ गये हैं। सरकार के सम्मुख मात्र पंजाब समस्या ही नहीं है, अब तो काश्मीर का संकट भी उपस्थित हो गया है जहां राष्ट्र-विरोधियों एवं विद्रोहियों की गतिविधियां

तेज हो गई है। आसाम में उल्फा (यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट) अलगाववादी गतिविधियों में संलग्न है। तमिलनाडू में भी, लंका से भाग कर वहां शरण लिये हुए तमिलों के कारण अलगाववादी आन्दोलन पनप रहा है। इस तरह दिन प्रतिदिन राष्ट्रीय एकात्मता के लिये खतरा बढ़ता जा रहा है।

पंजाब एवं काश्मीर के अलगाववादियों को पाकिस्तान खुलेआम सहायता कर रहा है। काश्मीर में तो, वहां उपद्रव करने के उद्देश्य से घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी घुसपैठियों के साथ अघोषित युद्ध ही चल रहा है। भारत के अविभाज्य अंग काश्मीर पर अपना कथित (मिथ्या) अधिकार सिद्ध करने के लिये, पाकिस्तान द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर (यू.एन.ओ.) विवाद खड़ा करने की जोरदार तैयारी चल रही है। जनतंत्रात्मक पद्धति से चुनी गई पाकिस्तान की संवैधानिक सरकार भंग किए जाने से अब भारत के साथ पाकिस्तान की शत्रुता को अधिक बल मिलने वाला है।

श्री लंका में, सरकारी सेना एवं एल.टी.टी.ई. के बीच जो परस्पर विनाशकारी घमासान युद्ध चल रहा है उससे भारत के सामने समस्या उपस्थित हुई है क्योंकि श्रीलंका के हजारों नागरिक प्रतिदिन वहां से भाग कर भारत में विस्थापित के रूप में आ रहे हैं। इन समस्याओं में और भी नई समस्या नक्सलवादी आन्दोलन के रूप में जुड गई है, जो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, एवं मध्य प्रदेश में दिखाई देती है जिसके अन्तर्गत वहां अब खुलेआम गोलियों की बौछार एवं दिन दहाड़े हत्याओं में तेजी आई है।

दुर्भाग्य से आरक्षण के मसले को लेकर मण्डल कमीशन की सिफारिशों एवं कुछ अन्य मुद्दों को लेकर सम्पूर्ण देश में ही, आन्दोलनों, हड़तालों तथा तोड़ फोड़ की आग फैल गई है।

देश की अर्थव्यवस्था की कमर ऋण के बोझ से टूट चुकी है, उस पर एक लाख करोड़ रुपयों का कर्ज है तथा "भुगतान संतुलन" की स्थिति अत्यंत दयनीय है। लगातार घाटे की अर्थव्यवस्था के कारण "मुद्रास्फीति" हो गई है। आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बन्द, छटनी एवं बीमार उद्योगों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

इस निराशाजनक स्थिति में, कुछ आशा-आकांक्षाओं की किरणें भी है। जनता में राष्ट्रीय एकात्मता के बारे में पर्याप्त जागृति दिखाई देती है तथा राष्ट्रीयता के बारे में विवेक पूर्ण विचार साधारण व्यक्तियों में भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है। नई सरकार के बारे में जनता में यह विश्वास दिखाई देता है कि वह पुरानी सरकार की गलत नीतियों को समाप्त कर, सही नीतियों का अवलम्बन करेगी। यह आशा भी जगी है कि बहुत बड़ी मात्रा में फैले भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। संविधान में काम के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में स्थान देना, उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी के बारे में कानून बनाना, एवं वर्तमान श्रम - कानूनों में सुधार करना, आदि के संबंध में इस सरकार के दिये हुए बचन के कारण वर्तमान विपरीत अर्थव्यवस्था के बावजूद, श्रमिकों में समाधान एवं आशा दिखाई देती है।

3. संगठनात्मक गतिविधियाँ

गत अधिवेशन में अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन संगठनात्मक कार्य प्रगति तथा कार्यविस्तार के दो उद्देश्य सामने रखकर योजना बनाई गई थी। इस दिशा में कुछ निश्चित एवं ठोस कार्य किये गये जिनसे प्रेरणादायी परिणाम भी सामने आए, यह कहते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है।

अरुणाचल प्रदेश में, वहां की सरकार के जनकार्य विभाग (पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेन्ट) में अपनी यूनियन बनाकर, भारतीय मजदूर संघ ने वहां अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है। दूसरे भी एक छोटे से राज्य गोवा में अब भारतीय मजदूर संघ की एक प्रदेश समिति का गठन किया जा चुका है, जबकि वहां इसके पूर्व हमारा काम नहीं था। अब तो वहां हम परिवहन, खान, इंजीनियरिंग आदि उद्योगों में हैं एवं हमारी यूनियनें लगभग एक दर्जन हैं। त्रिपुरा एवं मणिपुर में भी अब अस्थायी समितियाँ बनाई जा चुकी हैं।

तमिलनाडु एवं हरियाणा में अब प्रथम बार ही सरकारी उद्योगों (पब्लिक सैक्टर) में हमारी यूनियनें बनाई गई है। कोइम्बटूर (तमिलनाडु) के वस्त्र कारखानें में हम अपनी यूनियन बना चुके हैं।

होटल उद्योग, पैट्रोलियम, रसायन (केमिकल्स) एवं प्राकृतिक तेल उद्योग में औद्योगिक महासंघ बनाने की दृष्टि से हमारा प्रयास प्रारम्भ हो चुका है।

रेलसेवा, डाकतार सेवा, प्रतिरक्षा, सचिवालय, एवं अन्यान्य सरकारी विभागों के केन्द्र या राज्य सरकारों के कर्मचारियों की मांगों को लेकर मजदूर संघ की ओर से अत्यंत सफलता से, अल्प सूचना के बावजूद 6 दिसम्बर 1988 को मांग दिवस सम्पूर्ण देश भर में मनाया गया। इसके कारण विभिन्न महासंघों में को-आर्डिनेशन समितियों के निर्माण का आधार तैयार हो गया। मांग - दिवस देश में कुल 173 स्थानों पर मनाया गया जिनमें 150 जिला स्थान एवं 23 औद्योगिक केन्द्र थे। यह एक बड़ी सफलता थी। इस कार्यक्रम से यह सोच सब जगह जगी है कि शेष स्थानों में भी अपना संगठनात्मक ढांचा मजबूत बनाया जाए।

सन् 1989 में कई राज्यों में, राई की विधान सभा के सामने, मजदूर संघ की ओर से बड़े ही सफल प्रदर्शन किए गये। इन प्रदर्शनों में कलकत्ते में 5,000 मजदूर थे, चण्डीगढ़ में पंजाब के 13,000 से भी अधिक मजदूर थे, लखनऊ (उ०प्र०) में 10,000 से भी अधिक, जयपुर (राजस्थान) में 20,000 से भी अधिक, हैदराबाद में लगभग 8,000 एवं पटना (बिहार) में 15,000 मजदूर थे।

हरियाणा में, ग्राम सहकारी समितियों (मिनी बैंक) के 3200 से भी अधिक कर्मचारियों ने एक प्रदर्शन भा.म.सं. के तत्वावधान में किया।

केरल में, मंहगाई एवं नई औद्योगिक नीति के खिलाफ 23 स्थानों पर 18,000 से अधिक श्रमिकों ने, विधान सभा के सामने या जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया।

उत्कल प्रदेश (उड़ीसा)

उड़ीसा में, आंगनवाड़ी की 5,000 से भी अधिक महिलाओं ने, वहां की विधानसभा के सम्मुख प्रदर्शन कर, वेतन-वृद्धि तथा उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की। पुलिस ने 1,200 प्रदर्शनकारी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया था जिससे परिस्थिति गम्भीर हो गई थी, और विधान सभा में भी इसके कारण हंगामा हो गया।

इस प्रकार के विशाल कार्यक्रम अपने मजदूर संघ के कार्य की वृद्धि एवं प्रभाव के प्रतीक हैं।

केन्द्रीय श्रम शिक्षा बोर्ड, कर्मचारी बीमा निगम एवं कर्मचारी भविष्य निधि आदि की कमेटियों या बोर्डों में हमारा प्रतिनिधित्व दुगना हो गया है। इस प्रकार से अपने मजदूर संघ की सर्व दिशाओं में प्रगति हो रही है। सन् 1989 के अन्त में, 25 राज्यों में भा.म.सं. से सम्बद्ध यूनियनों की संख्या 2600 से भी अधिक थी एवं सदस्य संख्या 40 लाख से भी अधिक थी। जबकि 1986 में मात्र 2300 यूनियनें तथा 33 लाख सदस्यता थी (चार्ट-1)। देश के लगभग 400 में से 320 जिलों में भा.म.सं. का कार्य है, और 180 से अधिक जिलों में, भा.म.सं. की समितियां भी बनी हुई है।

ग्रामीण एवं असंगठित श्रमिक

बंगलौर के गत अधिवेशन में, ग्रामीण एवं असंगठित श्रमिकों में अपना कार्य बढ़ाने पर बल दिया गया था। परिणाम स्वरूप इस प्रकार का प्रयास अच्छी तरह से किया जा रहा है। कई राज्यों में मजदूर संघ की इकाईयों ने ग्रामीण श्रमिकों के लिए श्रम-शिक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए। हरियाणा में श्रम सहकारी समितियों के कार्यकर्त्ताओं को संगठित किया गया उन्हें दयनीय आर्थिक स्थिति से उन्हें उबारने का सफल प्रयास किया गया। महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश में वनवासी श्रमिकों को श्रम-शिक्षा देने हेतु कार्यक्रम हुए। दिल्ली एवं उसके आसपास के भट्ठा मजदूरों को संगठित किया गया। मध्य प्रदेश एवं बिहार के बीड़ी उद्योग में लगे कर्मचारियों को संगठित करने का जोरदार प्रयास हो रहा है। केरल में मछुआरों का संगठन बन गया है। कृषि - मजदूरों की यूनियनें अब बारह राज्यों में कार्यरत है।

श्रमिकों का स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

औद्योगिक कठिनाईयों एवं सुरक्षा की ओर हम अधिक ध्यान दिया। रसायन, कीटनाशक, खाद, कोयला खानों आदि जैसे दुर्घटनाओं की अधिक सम्भावना वाले उद्योगों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं के लिए दो-दो या तीन-तीन दिन की कार्यशालाओं (वर्कशॉप्स) का आयोजन किया गया। इस संबंध में यह उल्लेख करना आवश्यक लगता है कि अमेरिका में औद्योगिक सुरक्षा विशेषज्ञ के रूप में काम करने वाले श्री महर्षि मेहता ने स्वेच्छा से ही आकर कार्यशालाओं में अपने ज्ञान एवं अनुभव से हमें लाभान्वित किया।

इन कार्यशालाओं में अपने रसायन विशेषज्ञ डा० पी.वी. कृष्ण को भेजकर आय.एल.ओ. ने भी सहयोग किया। दोनो ही कार्यक्रम अत्यन्त सफल रहे। सुरक्षा के विषय पर राज्य स्तर या औद्योगिक स्तर पर आयोजित अभ्यास वर्गों में भी चर्चा की गई।

मई 1990 में, हँबर्ग (जर्मनी) में हुए औद्योगिक सुरक्षा सम्मेलन में भारतीय मजदूर संघ ने भी प्रतिनिधित्व किया।

राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा कौंसिल में भामस. के अब दो प्रतिनिधि हैं।

श्रमिक शिक्षा कार्यक्रम

श्रम - संगठनों तथा श्रमिकों के योग्य विकास की दृष्टि से श्रमिक -शिक्षा का महत्त्व हम अच्छी तरह समझते हैं, अत: श्रम - क्षेत्र के अपने कार्यकर्त्ताओं को उस दिशा में शिक्षित करने के सब प्रकार के प्रयत्न हमने किए। इस दृष्टि से, "केन्द्रीय श्रमशिक्षा परिषद्" जहां कि हमारे दो प्रतिनिधि हैं, से हमारा सक्रिय सम्पर्क है। मुम्बई की "इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ वरकर्स एज्युकेशन" द्वारा आयोजित होने वाले श्रमिक - शिक्षा के आयोजनों में भा.म.सं. के कार्यकत्ताओं को निरन्तर भेजा जाता है। इस इस्टिट्यूट में कृषि, बिजली, चीनी, इंजीनियरिंग आदि जैसे उद्योगों में कार्यरत भा.म.सं. के कार्यकर्त्ताओं के लिये, श्रमिक शिक्षा का विशेष अभ्यास क्रम आयोजित किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् (प्रॉडक्टीविटी कौंसिल) एवं राष्ट्रीय श्रम संस्थान (लेबर इंस्टि०) तथा ऐसे अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित आयोजकों में भी भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्त्ता बराबर भाग लेते रहते हैं।

भारतीय मजदूर संघ की विभिन्न इकाईयों, महसंघों एवं सम्बद्ध यूनियनों द्वारा भी अभ्यास वर्गों का आयोजन होता रहता है। जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न गोष्ठियों - समितियों में भाग लेने वाले हमारे प्रतिनिधि की उभरी हुई छबि प्रगट होती है। इससे भावात्मक एकता, आत्मीयता एवं अनुशासन की भी वृद्धि मजदूर संघ के कार्य में हुई है।

महिला कार्यकर्त्रियां

महिला कार्यकर्त्रियों की संख्या बढ़ाने के प्रयास में काफी यश मिला है। इनके लिए अलग कार्यक्रम आयोजित किए गये जिनमें मार्च 1990 में हैदराबाद में आयोजित द्विदिवसीय कार्यशाला - कार्यक्रम प्रमुख है। इसमें 7 राज्यों से 88 महिलाओं ने भाग लिया था। विभिन्न यूनियनों तथा मजदूर संघ की जिला एवं राज्य इकाईयों में कई महिला कार्यकर्त्रियाँ, संगठनात्मक कार्य में सक्रिय है। विदर्भ सहित, महाराष्ट्र प्रदेश, महिला कार्यकर्त्रियों की संख्या एवं उनकी सक्रियता की दृष्टि से अग्रणी हैं। परन्तु अन्य राज्यों यथा दिल्ली, जम्मू काश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल पश्चिम बंगाल एवं आन्ध्र प्रदेश में भी अलग से महिला विभाग

बनाए जाने की दिशा में प्रयत्न हो रहे हैं। उड़ीसा में आंगनवाड़ी महिलाओं की स्वतंत्र यूनियन है एवं उसके द्वारा महिलाओं को अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करा देने हेतु कई आन्दोलनात्मक कार्यक्रम किए गये। हरियाणा एवं जम्मू-काश्मीर में भी आंगनवाड़ी की महिला कर्मचारियों के संगठन बन गए हैं।

पूर्णकालिक कार्यकर्त्ता - शिविर

यह प्रथम बार ही हुआ है कि राज्यश: पूर्णकालिक कार्यकर्त्ताओं के शिविर वाराणसी एवं बम्बई में आयोजित किए गए। इनमें 160 कार्यकर्त्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्त्ताओं की एक दूसरे से सम्पर्क करने की तथा उनके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करने की दृष्टि से शिविरों के कार्यक्रम हुए।

सेवा-कार्य

भारतीय मजदूर संघ की यह नीति रही है कि अपने संगठित श्रमिकों को समाज के गरीब एवं दलित लोगों की सहायता करने की प्रेरणा दी जाए जिससे समाज पुरूष के साथ सबका जीवित एवं सक्रिय सम्पर्क रह सके। यह भी आवश्यक है कि श्रम संगठनों को, अपने सदस्यों को सुविधाएं दिलाने हेतु, मालिकों या सरकार पर निर्भर न रहना पड़े। इस दृष्टि से आर्थिक आत्मनिर्भरता होनी चाहिये, और साथ ही श्रम संगठनों द्वारा अपनी ओर से कुछ योजनाएं भी चलनी चाहिये।

धीरे-धीरे परन्तु लगातार भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इनके ऐसे कार्यों का वर्णन आगे दिया है।

ग्रामों के श्रमिकों को संगठित करना इतना आसान नहीं। इसके लिए ग्रामों में उनके बीच रह कर, उनका विश्वास संपादन कर सकने वाले, नि:स्वार्थी समर्पित कार्यकर्त्ताओं की टोली ही आवश्यक होती है। हमारी कुछ यूनियनों द्वारा गहन ग्रामीण क्षेत्र तथा सुदूर छोटे नगरों में काम किया जा रहा है। यह प्रयास किया जा रहा है कि इन सुदूर क्षेत्रों में कार्यरत अन्य यूनियनों के कार्यकर्ता वहां के ग्रामीणों को संगठित करने हेतु समय दें एवं ग्रामीणों तक अपना विचार पहुचाएं। महाराष्ट्र एवं राजस्थान में ग्रामीण बैंकों तथा विद्युत बोर्डों में काम करने वाले हमारे कार्यकर्त्ताओं ने इस कल्पना का स्वागत किया है तथा उस दिशा में कदम भी आगे बढ़ाया है।

बंगाल में, उखड़ा कोलियरी में, अपने महासंघ - खान मजदूर कांग्रेस द्वारा "अम्बेडकर सेवा समिति" संचालित की जा रही है। यह अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है और वहां के अधिकांश हरिजन शराब के अभ्यस्त थे। उनके बच्चे कभी पढ़ते भी नहीं थे। परन्तु अब "अम्बेडकर सेवा समिति" के प्रयत्नों के फलस्वरूप दिनभर कीचड़ और गन्दगी में खेलने वाले वे बच्चे अब नियमित विद्यालयों में जाने लगे हैं तथा उनके संरक्षकों ने शराब सेवन में भी अब संयम बरतना शुरू किया है।

परासिया (म०प्र०) के "वेस्टर्न कोल फिल्डस" में भा.म.सं. की यूनियन ने छः विद्यालय खोले हैं, जो अच्छी तरह चल रहे हैं। फरीदाबाद (हरियाणा) में एक प्राथमिक विद्यालय का संचालन किया जा रहा है।

पंजाब एवं उत्तर प्रदेश की हमारी कुछ यूनियनों ने सदस्यों की विधवाओं को, सिलाई मशीनें आदि देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की योजना चलाई है।

तमिलनाडु स्थित तिरुची की बी.एच.ई.एल. यूनियन कर्मचारियों ने धन एकत्रित कर आन्ध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को उनके चक्रवात सहायता कोष में दिया। मद्रास के निकट अवाड़ी की टैंक फैक्ट्री की अपनी यूनियन ने नेत्रदान शिविर का आयोजन किया। मद्रास के निकट ही मंगड में महिला विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया।

आन्ध्र प्रदेश के निजामाबाद, सिकन्दराबाद एवं हैदराबाद में प्रौढ़ शिक्षा अभियान में सहयोग दिया गया। बैंक आफ महाराष्ट्र आफीसर्स आर्गनेईजेशन ने बनवासी कल्याण आश्रम के माध्यम से कामशेत के निकट तीन गांवों को केन्द्रीय सरकार की डोकरा स्कीम के अन्तर्गत विकास हेतु गोद लिया।

कर्नाटक प्रदेश में रिजर्व बैंक वर्कर्स आर्गनाईजेशन एक योजना चला रहा है जिसके द्वारा नियमित धन एकत्रित करके ग्राम उत्थान योजना चलाई जा रही है।

पूना में महिला विभाग 10 बच्चों को पढ़ाई हेतु आर्थिक ससहायता देता है। महाराष्ट्र में कई यूनियनें ऐसी सहायता देती है।

दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक की यूनियन ऐसी योजना चला रही है जिससे किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उसकी विधवा को 45 हजार रुपये बतौर सहायता दिया जाता है।

बुलढाणा जिले में ऐसी श्रेष्ठ सेवा योजना चलाई जा रही है जिसके अन्तर्गत वितरण योजना चलाकर पीने के पानी की समस्या का निराकरण किया जाता है। स्कूल और स्वास्थ्य की समस्या की देखरेख हमारे सदस्यों द्वारा की जा रही है।

महाराष्ट्र प्रदेश की विद्युत परिषद् में हमारी विद्युत यूनियन ने बहुत बड़े स्तर पर कल्याणकारी योजना चालू की हैं, जिसके अन्तर्गत "बीज कामगार कल्याण निधि योजना" पूना में स्थापित की गई है। इस यूनियन के उद्देश्यों में कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसके एक आश्रित को आर्थिक सहयोग देना, स्थाई या अस्थाई जो सदस्य है को शिक्षा, चिकित्सा खर्चा, और प्राकृतिक प्रकोप के कारण हुई क्षति में सहायता तथा जन दातव्यकोष जो कि कमजोर वर्ग के उत्थान हेतु सहायता करना है। वर्तमान समय में एक सदस्य की मृत्यु पर 5000/- रु० उसके आश्रित को दिया जाता है। इस समय कल्याण निधि के 5 हजार सदस्य हैं जिन्होंने 5 सौ रुपये बतौर सदस्यता दिया है। ट्रस्ट की वर्तमान जमा राशि 40 लाख रु० से अधिक है। अब तक 104 लोगों को 9,72,600/- रु० दिए गए हैं।

एक दूसरा ऐसा कार्य भी उल्लेखनीय एवं प्रशंसनीय है। अखिल भारतीय भट्ठा मजदूर संघ दिल्ली बन्धुआ मजदूरों को मुक्त कराने में व्यस्त है। इन मुक्त बन्धुआ मजदूरों के पुनर्वास का कार्य भी, मालिकों के गुण्डे और उनकी बन्दूक का मुकाबला करते हुए, बहुत बड़ा खतरा उठाते हुए कर रहे हैं। बिगत साढ़े तीन वर्षों में 242 पुरुष और महिला मजदूरों को उनके बच्चों सहित मुक्त कराया है। जिसमें 146 हरियाणा से, 86 उत्तर प्रदेश से तथा 10 गुजरात के मजदूर शामिल हैं। बन्धुआ मुक्ति के बाद सभी का पुनर्वास किया गया है।

बंगलौर अधिवेशन के समय उपस्थित प्रतिनिधियों ने एक लाख 25 हजार रुपये उन परिवारों की सहायतार्थ दिया जो सी.पी.एम. और सीटू के हमले से पीड़ित थे। केरल भारतीय मजदूर संघ इकाई ने इस धन का वितरण उन परिवारों में किया ताकि वे हादसे से हुई क्षति एवं दुःख से उबर सकें।

इस प्रकार की अनेक गतिविधियां चल रही हैं। इस कार्य से स्वस्थ परम्पराएं निर्माण हो रही हैं। पहले ट्रेड यूनियनें केवल अपनी मांगों को शक्ति के बल पर मनवाने का प्रयास करती थीं।

आने वाले वर्षों में इस प्रकार की गतिविधियां और तेज होनी चाहिए।

ई०एस०आई० सेल

बम्बई द्वारा ई.एस.आई. सेल का कार्य विधिवत् चल रहा है। ई.एस.आई. कारपोरेशन में भारतीय मजदूर संघ का प्रतिनिधित्व एक से दो हुआ है। भारतीय मजदूर संघ को अनेक समितियों में प्रतिनिधित्व मिला है। जिसमें मैडिकल बेनिफिट काउंसिल तथा देश की आधी क्षेत्रिय समितियों में भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। शेष समितियों में भी भा.म.सं. को प्रतिनिधित्व मिले इसके लिए प्रयास जारी है। ई.एस.आई. नियमों के अन्तर्गत कुछ ऐसी शर्तें जो इन्स्योर्ड व्यक्तियों की वैधानिकता पर प्रतिबन्ध लगाती हैं, के विरुद्ध बम्बई के ई.एस.आई. सेल ने उच्च न्यायालय में केस दायर किया था। परिणाम स्वरूप सरकार ने उन नियमों में यथावश्यक संशोधन कर दिया है।

ई.एस.आई. योजना एक अति बदनाम एवं अरूचिकर योजना है। अनेक क्षेत्रों में कर्मचारियों ने इसका विरोध किया है। और उससे बाहर निकलने के लिए आज्ञा मांगी है। इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के मजदूरों को शामिल किए जाने का विस्तार किया जा रहा है। उससे कर्मचारियों में काफी रोष है। दोष मात्र योजना में ही नहीं अपितु इसके दोषपूर्ण क्रियान्वयन में भी है। भारतीय मजदूर संघ इस बात का प्रयास करेगा कि यह योजना ठीक प्रकार से क्रियान्वित की जाय जो मजदूर एवं कर्मचारियों को पूर्णतया मान्य हो।

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ता को कर्मचारी कल्याण परिषद् का अध्यक्ष बनाया जाना।

यह भारतीय मजदूर संघ के लिए गौरव का विषय है कि मध्य प्रदेश भा.म.सं. के उपाध्यक्ष श्री जगदीश गुप्त को अभी अभी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण परिषद् का

अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे कर्मचारियों की सेवा करने का उन्हें एक सुअवसर मिला है। कल्याणकारी परिषद् के माध्यम से वे अपनी नई कल्पनाएं और योजनाओं के अनुसार कर्मचारियों तथा उनके परिवार का सही अर्थों में कल्याण कर सकेंगे तथा परिषद् के धन का दुरुपयोग होने से बचायेंगे और इसका सदुपयोग करेंगे।

भारतीय मजदूर संघ की मध्य प्रदेश मजदूर संघ शाखा ऐसा प्रयास कर रही है कि उनके प्रयास सफल हों।

कार्य तथा लक्ष्य के प्रति समर्पण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सिद्धान्तों से प्रेरणा प्राप्त संगठन के नाते यह स्वाभाविक था कि भारतीय मजदूर संघ और उसके औद्योगिक महासंघ तथा यूनियनें अपनी तत्व निष्ठा बढ़ाने के लिए, डाक्टर केशवराव बलीराम हैडगेवार की 1988-89 में मनाई गई जन्म शताब्दी में भाग लेकर उसका उपयोग करें। समूचे देश में भा.म.सं. एवं इसके औद्योगिक महासंघ एवं यूनियनों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा डा० हैडगेवार जन्म शताब्दी के सम्बद्ध में आयोजित शताब्दी कार्यक्रमों में सक्रिय सहयोग दिया। विशेषकर हमारे कार्यकर्ताओं ने सम्पर्क अभियान, जनसभायें, सेवानिधि संग्रह, साहित्य वितरण एवं संघ साहित्य की बिक्री आदि काम किए। बम्बई, बंगलौर में भारतीय मजदूर संघ द्वारा अपने झण्डे के साथ जुलूस निकाले गये जो अन्त में संघ द्वारा आयोजित सभाओं में सम्मिलित हो गये। बम्बई के कार्यक्रम में लगभग 2 हजार घरेलू कामगारों ने जुलूस में भाग लिया। उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर जुलूस निकाले गये जिसमें कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। इसके अतिरिक्त भारतीय मजदूर संघ पदाधिकारियों ने प्रवास करके संघ द्वारा आयोजित सभाओं में भाषण भी दिये।

इसके साथ ही भारतीय मजदूर संघ ने अपनी ओर से भी कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें संघ के अधिकारियों का भाषण हुआ। ऐसी कार्यकर्ताओं की सभायें लगभग सभी राज्यों में सम्पन्न हुई।

दिल्ली, बंगलौर, मद्रास, कलकत्ता, जम्मू, तथा हरियाणा, विदर्भ एवं महाराष्ट्र में कई स्थानों पर जन सभायें सम्पन्न हुई।

कुछ राज्यों जैसे गुजरात पंजाब, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश, एवं राजस्थान आदि राज्यों में कार्यकर्ताओं के जिला सम्मेलन भी सम्पन्न हुए। महाराष्ट्र में तो तालुका स्तर पर सम्मेलन सम्पन्न हुए। रायपुर-मध्य प्रदेश में सभी तालुका स्थानों पर कार्यक्रम सम्पन्न हुए। शहडोल जिले में प्रत्येक कोयला खान क्षेत्र में कार्यक्रम हुए। विदर्भ के कई स्थानों पर भारतीय मजदूर संघ कार्यालय में डा० हैडगेवार के चित्रों का अनावरण हुआ। भारतीय मजदूर संघ की अनेक इकाईयों एवं सम्बद्ध यूनियनों ने डा० जी का फोटो चित्र, विचारों के कार्ड प्रकाशित कर वितरित किये। बड़े कलैन्डर, पाकेट कलेन्डर एवं अभिनन्दन पत्र वितरित किए।

इस अवधि में सभी राज्य स्तरीय या औद्योगिक स्तर के महासंघों द्वारा आयोजित

अधिवेशनों में एक सत्र डा० जी के जीवन पर प्रकाश डालने के लिये निश्चित किया गया, जिसमें संघ के अधिकारियों के भाषण हुए। इस प्रकार के कार्यक्रम कर्नाटक, म० प्रदेश, राजस्थान, विदर्भ एवं चीनी एवं वस्त्र उद्योगों के कर्मचारी सम्मेलनों में भी सम्पन्न हुए। करीब दो अधिवेशनों में वस्त्र उद्योग कर्मचारी अधिवेशन उदयपुर एवं चीनी उद्योग कर्मचारी अधिवेशन बिजनौर में क्रमशः 1700 एवं 1171/- रु० स्वेच्छा से सेवानिधि में समर्पित किये गए। दिल्ली एवं आन्ध्र प्रदेश के मेडक में खेलकूद का आयोजन कर सफल खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किए गये।

जामोद (बुलढाणा जिला) में एक बनवासी सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें उपस्थित 2000 में से 500 महिलाएं थी। उसी दिन एक बाजार सहकारी समिति का उद्घाटन किया गया जो वनवासियों को सहायता देगी। अम्बाला, कुरुक्षेत्र एवं रोहतक में गोष्ठियां आयोजित की गई। ''मजदूर भारतीय'' नाम की मलयालम भाषा की मासिक पत्रिका का इस अवसर पर एक विशेषांक भी निकाला गया।

रक्तदान एवं नेत्रदान शिविर भी आयेजित किए गये। पंजाब हरियाणा, आन्ध्र प्रदेश गुजरात, उड़ीसा एवं महाराष्ट्र में रक्तदान एवं रक्त की जांच के शिविर आयोजित किए गये, जिसमें लगभग 400 युवकों ने भाग लिया। नेत्रदान शिविर हरियाणा व दिल्ली में आयेजित किए गये, केवल दिल्ली में 50 कर्मचारियों ने नेत्रदान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। पंजाब की पिछड़ी हरिजन बस्तियों में स्वास्थ्य की जांच हेतु शिविर आयोजित किए गये।

भारतीय मजदूर संघ ने ''संकेत रेखा'' नाम की एक पुस्तक प्रकाशित की है जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, डा० हैडगेवार तथा कई अन्य विषयों पर श्री दत्तोपंत ठेंगड़ी के लेख हैं। 13 मई 1989 को दिल्ली में हुए एक अत्यंत सादे समारोह में यह पुस्तक जनता को समर्पित की गई।

4. भारतीय श्रम सम्मेलन

29 वां भारतीय श्रम सम्मेलन अप्रैल 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने आयोजित किया। यह साढे चार वर्ष बाद आयोजित किया गया था। यह एक स्वागत योग्य निर्णय था। सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के मन में सन्देह था कि क्या यह सम्मेलन नियमित रूप से होगा या नहीं। जब इस प्रकार की मांग सभी ओर से आने लगी तो अध्यक्षता करने वाले श्रममंत्री ने आश्वासन दिया कि भारत में श्रम सम्मेलन प्रतिवर्ष एक बार होगा। स्थाई श्रम समिति की 6 माह में एक बार बैठक हुआ करेगी। पर समय ही बतायेगा कि इसका ठीक से पालन होता है कि नहीं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में पारित कनवेन्शनों की पुष्टि हेतु बनी त्रिपक्षीय समिति जिसमें कनवेन्शनों पर विचार होता था, सरकार ने बैठकें लेना ही बन्द कर दिया था। चूंकि अनके वर्षों से उस कमेटी की बैठकें नहीं हुई थी भारतीय मजदूर संघ ने भारतीय श्रम सम्मेलन में

यह प्रश्न उठाया। जिस पर अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया कि अब इसके बाद से सभी कमेटियों की बैठक नियमित रूप से हुआ करेगी। भारतीय मजदूर संघ ने इसके पूर्व मीटिंग बुलाने के लिए चार बार प्रयास किया था किन्तु असफल रहा। भारतीय मजदूर संघ यह प्रश्न अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में उठाना उचित नहीं समझता था किन्तु जब उसकी मांग सरकार द्वारा अनसुनी कर दी गई तो अनिच्छा से ही उसने यह बात आई.एल.ओ. के समक्ष रखी। क्योंकि भारत ने काफी समय पूर्व आई.एल.ओ. के कनवेंशन न० 144 जो त्रिपक्षीय कन्सल्टेशन के बारे में है इसकी पुष्टि बहुत पहले कर दी थी। भारत श्रम सम्मेलन सम्पन्न हुए अब 5 माह बीत रहे हैं किन्तु उस त्रिपक्षीय समिति की बैठक होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं।

यद्यपि भारत श्रम सम्मेलन में विचारार्थ सात विषय थे किन्तु दो दिन के सम्मेलन में यह पूरे नहीं हो सके। क्योंकि अधिकांश समय साधारण भाषणों में ही चला गया। जो विषय विचारार्थ रखे जाने थे उनके लिए बहुत थोड़ा समय बचा। इस बचे हुए समय में कर्मचारियों की प्रबन्ध में भागीदारी दिए जाने के सम्बन्ध में कानून बनाने पर विचार हो सका। औद्योगिक सम्बन्ध पर विधारार्थ एक द्विपक्षीय समिति बनी और कन्स्ट्रक्शन कार्य में लगे श्रमिकों के लिये प्रस्तुत कानून के प्रारूप पर व्यापक विचार आमंत्रित किए गये। इस बात पर भी आम सहमति हुई कि खेतिहर मजदूरों के लिए एक विस्तृत कानून बनाया जाए। किन्तु विचारार्थ निश्चित अन्य विषयों पर कुछ भी विचार नहीं हो सका।

भारतीय मजदूर संघ यह अनुभव करता है कि भारत श्रम सम्मेलन को यदि उपयोगी बनाना है तो - (अ) बैठक अधिक काल तक चले, (ब) इसकी कार्य पद्धति में बदल करते हुए छोटी -2 समितियाँ बनाकर विचारार्थ विषयों पर गहराई से विचार करें तथा सम्मेलन के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

अन्यथा केवल खानापूरी के सिवाय और कुछ नहीं होगा। सरकार भारत श्रम सम्मेलन के घटकों से सम्मेलन में विचारार्थ विषय मांगती है। भा.म.सं. ने कुछ विषयों का सुझाव दिया था किन्तु विचारार्थ विषयों में उनका समावेश नहीं किया गया। किन्तु यह कोई स्वस्थ परम्परा नहीं है।

सब मिलाकर भारत श्रम सम्मेलन लगभग सफल ही रहा किन्तु इसे और अधिक कारगर बनाया जा सकता है।

सम्मलेन के एक दिन पूर्व श्रम संघों के प्रतिनिधियों की बैठक में एक प्रस्ताव आया कि इस आधार पर सम्मेलन का बहिष्कार किया जाय कि संसद के अन्दर उद्योग मंत्री ने एकतरफा सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए मंहगाई भत्ते की दर घोषित कर दी जब कि यह विषय त्रिपक्षीय समिति के सम्मुख विचारार्थ था। भा.म.सं. ने बहिष्कार करने का विरोध किया क्योंकि इससे न कोई लाभ होता और न हीं यह मजदूरों के लिए हितकर था। अन्त में यह तय हुआ कि सम्मेलन का बहिष्कार न किया जाए, बल्कि मंहगाई भत्ते का यह मामला सम्मेलन में उठाया जाए। ऐसा ही हुआ। भारतीय मजदूर संघ ने एक रचनात्मक एवं सकारात्मक भूमिका अपनाई जिसको सभी श्रम संघों ने स्वीकार किया।

प्रबन्ध में श्रमिकों की भागीदारी

वर्तमान सरकार ने एक अति आवश्यक विषय 'उद्योगों के प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी' विषय पर कानून बनाए जाने का निश्चय किया और इस सम्बन्ध में एक विधेयक भी संसद में लाया गया। यद्यपि यह कदम एक आदर्श तो नहीं फिर भी स्वागत योग्य है। कानून के अन्तर्गत लागू किए जाने वाली योजनाओं की पद्धति एवं उसके क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अभी तक मसौदा तैयार नहीं हुआ है किन्तु यह तो निश्चित ही है कि कर्मचारियों के प्रतिनिधि सम्बन्धित प्रतिष्ठानों में सभी स्तर पर यूनियनों द्वारा नामांकित किए जायेंगे। जिसे गुप्त मतदान से जितना मत मिलेगा उसी अनुपात में उसके प्रतिनिधि होंगे। यही बात भा.म.सं. पहले से कह रहा था। भागीदारी के इस तरीके को यदि सफल करना है तो सरकार मालिक एवं मजदूर तीनों पक्षों के दृष्टिकोण में बदल आना आवश्यक है। इस प्रयोग की जिम्मेदारी तीनों पक्षों पर तो है ही किन्तु विशेष कर मालिकों एवं ट्रेड यूनियनों पर अधिक निर्भर है। क्या सेवायोजक मजदूरों के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदल लायेंगे? क्या उनके साथ आत्मीयता का व्यवहार करेंगे? क्या उन्हें विश्वास में लेंगे? स्वयं ही आवश्यक जानकारी देंगे? एवं समितियों के निर्णयों का आदर करते हुए ईमानदारी से उन्हें लागू करेंगे? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसका समाधान होना आवश्यक है।

ठीक उसी प्रकार कर्मचारियों को मालिकों के प्रति अपने दृष्टिकोण में बदल लाना होगा, कारखाने की प्रगति को अपनी प्रगति मानना होगा। ईमानदारी व प्रामाणिकता से काम करना होगा, उत्पादन बढ़ाने में तथा उत्पादकता, एवं गुणात्मकता बढ़ाने में सहयोग करना होगा।

ट्रेड यूनियनों को भी अपना पार्ट अदा करना होगा। उन्हें अपनी नीतियों का नवीनीकरण करना होगा, अपने प्रतिनिधियों को समुचित ढंग से प्रशिक्षित करना होगा जिससे कि वे कर्मचारियों का विश्वास प्राप्त कर सकें तथा उनकी क्षमता बढ़ा सकें। क्या श्रम संगठन समय के साथ चलेंगे।

संक्षेप में सबको अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए उन्हें उपभोक्ता समाज एवं राष्ट्र के दृष्टि से व्यापक विचार करना होगा। कानून द्वारा यह किया जाना सम्भव नहीं है। ऐसा होने से सभी सम्बन्धित पक्षों को अपने में बदल लाने का तथा कार्य के अनुरूप अपने आपको ढालने का मौका मिल जायेगा।

उत्तर दायित्व बहन करने के युग का उदय हो चुका है। भारतीय मजदूर संघ प्रामाणिकता से इस आह्वान को स्वीकार करता है और इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपनी क्षमता सिद्ध करने को तैयार है।

विनिमित पूंजी में हिस्सेदारी

भारतीय मजदूर संघ का यह लक्ष्य रहा है कि कर्मचारियों को अपने प्रतिष्ठान का जिस किसी भी रूप में सम्भव हो स्वामी बनाया जाए। हमने इसी को "श्रमिकीकरण" कहा है। विभिन्न देश इसका प्रयोग भिन्न-2 तरीके से कर रहे हैं। भारत में कुछ समयपूर्व यह विचार चल पड़ा कि

कर्मचारियों का अपने प्रतिष्ठान की विनिमित पूंजी में हिस्सा रहे। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कानूनी प्रावधान भी किए गये। किन्तु यह विचार सफल नहीं हो सका। श्रमिकों की प्रबन्ध में साझेदारी के सम्बंध में हुए राष्ट्रीय सम्मेलन में इस विषय पर चर्चा हुई। भारतीय मजदूर संघ और इण्टक ने इस विचार का समर्थन किया। किन्तु अन्य श्रम संघों ने किन्हीं कारणों से इसका विरोध किया। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के प्रतिनिधि ने यह कहते हुए इसका समर्थन किया कि यह आई.एल.ओ. के लक्ष्यों में एक है।

भा.म.सं. यह चाहता है कि सार्वजनिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठान भी कर्मचारियों को विनिमित पूंजी में हिस्सा दें। इससे पब्लिक सेक्टर कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं बनेगा। बल्कि इससे कर्मचारियों में स्वामित्व का भाव उत्पन्न होगा। अपनत्व का भाव आने से कार्य शैली में भी अपेक्षित बदल आएगा।

नया औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक

जिम्मेवारी से काम करने का और एक मौका मिला जब श्रम संघों और सेवायोजकों की संयुक्त समिति को नये औद्योगिक सम्बन्ध कानून बनाने का उत्तर दायित्व 21/22 अप्रैल 1990 को सम्पन्न भारत श्रम सम्मेलन द्वारा सौंपा गया। सरकार द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक सम्बन्ध विधेयक के प्रारूप पर श्रम संघों एवं सेवायोजकों ने अपने को इससे अलग कर लिया। समिति की कार्यवाही कुछ दिन पूर्व जब समाप्त हुई उसके बाद इस बात की अनुभूति हुई कि न केवल श्रमिकों और मालिकों के बीच किसी विषय पर सहमति होना कठिन है बल्कि ट्रेड यूनियनों की आपसी सहमति भी अति कठिन है। जब एक आम सहमति के लिए सभी ने अपने दृष्टिकोण में कुछ लचीलापन लाया तभी आम सहमति सम्भव हो सकी।

अब समिति की रिपोर्ट सरकार के पास है। आशा है कि सरकार इस पर गहराई से विचार करेगी और एक नया विधेयक लायेगी जिससे कि कर्मचारियों की आकांक्षाओं की पूर्ति हो सके। इससे एक नये युग का निर्माण होकर सेवायोजकों एवं कर्मचारियों के मधुर एवं मानवसुलभ सम्बन्ध होंगे। हमें विश्वास है कि सरकार इस सम्बन्ध में आगे और विलम्ब नहीं करेगी।

केन्द्रीय श्रम संघों की सदस्यता का सत्यापन

9 वर्ष के एक अन्तराल बाद सरकार ने यह निर्णय लिया है कि केन्द्रीय श्रम संघों की सदस्यता का सत्यापन किया जाय जो वर्ष 1989 की सदस्यता के दावे के अनुसार होगा। उस समय यह सोचा गया था कि सदस्यता का सत्यापन कार्य 5 वर्ष में एक बार अवश्य किया जाए। किन्तु यह नहीं हो सका। क्योंकि श्रम संघ सत्यापन के तरीके में कुछ बदल चाहते थे। आखिरकार दिसम्बर 1986 में चीफ लेबर कमिश्नर (केन्द्रीय) के साथ एक समझौता हुआ। यह स्वीकार किया गया कि 1986 के सदस्यता दावे के आधार पर सरकार केन्द्रीय श्रम संघों की सदस्यता का सत्यापन करेगी। किन्तु यह भी नहीं हो सका।

मार्च 1990 में केन्द्रीय श्रम मंत्री द्वारा आहूत बैठक में केन्द्रीय श्रम संघों के प्रतिनिधियों के साथ इस विषय पर पुन: चर्चा हुई। भारतीय मजदूर संघ ने आग्रह किया कि वर्ष 1986 में जो समझौता हुआ था सरकार उसी के आधार पर आगे बढ़े। अन्य श्रम संघों ने भी भा.म.सं. के विचार से अपनी सहमति जताई और यह तय हुआ कि 31 दिसम्बर 1989 तक की सदस्यता का सरकार सत्यापन करेगी। आशा है कि सत्यापन कार्य अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा।

5. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ और उसकी गतिविधियाँ

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ के दिल्ली कार्यालय को 1989 में 60 वर्ष पूरे हो गये। एक संक्षिप्त एवं सुन्दर कार्यक्रम तीनों सहयोगियों के सहकार से सम्पन्न हुआ। इससे राष्ट्र के आर्थिक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए त्रिपक्षीय सहयोग एवं सामंजस्य की प्रणाली को बल मिला। आगे के वर्षों में भी यह निश्चित ही है कि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ का अपने सदस्य देशा पर अधिकाधिक प्रभाव बढ़ता जायेगा।

यहां भारतीय मजदूर संघ का विचार स्पष्ट रूप से रखना आवश्यक है। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ विकसित धनी देशों और उनकी ट्रेड यूनियनों के दबाव में है। यद्यपि विकासशील देशों की सदस्यता संख्या विकसित देशों की तुलना में आई.एल.ओ. में अधिक है किन्तु उनकी आवाज को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता है। इसी कारण दुनिया की गतिविधियों पर उनका प्रभाव भी नहीं पड़ता है। इसलिए विकासशील देशों को ऐसा कुछ करना होगा ताकि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ पर उनका प्रभाव जम सके। आई.एल.ओ. ने अपने सहयोगियों तथा सरकार, मालिक और श्रमसंघों को तकनीकी सहायता के उद्देश्य से एक बहुत बड़ी धनराशि का बजट में प्रावधान कर रखा है। ऐसी अधिक सम्भावना है कि तीसरे विकासशील देशों की ट्रेड यूनियनें आई.एल.ओ. के उद्देश्यों से कम तथा धन के प्रति अधिक आकर्षित होंगी। इससे कोई लाभ न होकर अन्ततोगत्वा श्रम संघों के लिए यह हानिकारक होगा।

इसलिए भारतीय मजदूर संघ ऐसा अनुभव करता है कि -

(अ) विकासशील देशों की यूनियनें एक जुट होकर एक प्रभावी शक्ति का निर्माण करें तथा अपने देश की आवश्यकता एवं उसकी वर्तमान परिस्थिति का विचार करते हुए आई.एल.ओ. की नीतियों एवं कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखें।

(आ) विकासशील देशों की यूनियनें आई.एल.ओ. से जो तकनीकी सहायता लेती हैं, उससे आयोजित कार्यक्रमों में सादगी एवं मितव्ययिता होनी चाहिये।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संघ एवं भारतीय मजदूर संघ

सहयोग एवं मिलकर काम करने की दृष्टि से भारतीय मजदूर संघ का आई.एल.ओ. के दिल्ली कार्यालय के साथ सम्बन्ध बढ़ा है। ग्रामीण मजदूरों को संगठित करने के उद्देश्य से आई.एल.ओ. की सहायता से केरल, कर्नाटक महाराष्ट्र, विदर्भ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश,

उत्तर प्रदेश, हरियाणा एवं बिहार में कार्यक्रम आयोजित किए गये। बम्बई और दिल्ली में जून एवं जुलाई 89 में औद्योगिक "खतरा एवं सुरक्षा" विषय पर तीन दिवसीय अलग-अलग कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनमें कैमिकल, खदान एवं खतरा प्रधान उद्योगों से कुल 50 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

मार्च 1990 में हैदराबाद में विशेषकर महिलाओं के लिए दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। जिसमें मुख्यत: आई.एल.ओ. के कनवेंशन नं० 89 के निर्धारित विषय "महिलाओं द्वारा रात्रिपाली में काम" पर चर्चा हुई जिसमें सात राज्यों से 88 महिलाओं ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त आई.एल.ओ. द्वारा आयोजित गोष्ठियों, सम्मेलनों, बैठकों में भा.म.सं. कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

(अ) वर्कर एजुकेशन एड ट्यूरिन (इटली) मई-जून 1989 में तीन सप्ताह का अभ्यास क्रम।

(ब) वर्कर्स पार्टी सिपेशन एण्ड दिरोल आफ ट्रेड यूनियन्स - मिन्स्क (रशिया) अगस्त सितम्बर 1989।

(स) ट्रेड यूनियंस एण्ड मासमीडिया - मनीला (फिलीपाइन्स) अक्टूबर 1989।

(द) मीटिंग आफ दी इण्डस्ट्रयल कमेटी आन होटल कटेरिंग एण्ड टूरिज्म - जिनेवा (स्विटजरलैण्ड) दिसम्बर 1989।

(ठ) इसके पूर्व वर्ष 1988, 89, एवं 90 के जून मास में प्रतिवर्ष आई.एल.ओ. द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलनों में भारतीय मजदूर संघ ने भाग लिया। भारतीय प्रतिनिधि के साथ जहां पहले भा.म.सं. का एक सलाहकार होता था वर्ष 1990 में उसके दो सलाहकार थे।

6. श्रम संघों की एकता

बदल की हवा सर्वत्र चल रही है। खासतौर से साम्यवादी जगत में, जिसने ट्रेड यूनियन एकता को सामने ला दिया है। विश्व में श्रम संघ 3 कैम्पों में बंटे हैं। दि आई.सी.एफ.टी.यू. पश्चिम देशों की स्वतन्त्र यूनियनों के प्रभुत्व में हैं। डब्ल्यू.एफ.टी.यू. में कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा संचालित ट्रेड यूनियन शामिल हैं और क्रिश्चियन धर्म सम्बन्धी सिद्धान्तों के आधार पर डब्लयू.सी.एल. चलती है। कम्युनिस्ट देशों में चलने वाली ट्रेड यूनियनों पर से कम्युनिस्टों की पकड़ कमजोर हुई है और अब वे स्वतंत्र हो गई हैं। वे किस प्रकार आगे चलेंगे, और किस ग्रुप के साथ मिलेंगे यह कहने की आवश्यकता नहीं है। डब्ल्यू.एफ.टी.यू. का आधार खिसक गया है और कमजोर हो गया है। परिवर्तन के साथ यह आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। डब्ल्यू.सी.एफ.टी.यू. के समझ में यह बात आ गई है कि बड़े पैमाने पर औद्योगीकरण, आर्थिक प्रगति एवं अधिक लोगों के लिए रोजगार की दृष्टि से वर्ष 1960 में उसने जो कुछ आर्थिक एवं सामाजिक नीतियां अपनाई थी वे अब 1990 की वर्तमान समस्याओं का मुकाबला करने में सक्षम नहीं हैं। नवम्बर में मास्को में होने वाली 12 वीं वर्ल्ड ट्रेड यूनियन कांग्रेस के लिए तैयार

किए गये एक पत्रक में डब्ल्यू.एफ.टी.यू. ने यह बात कही है। वर्ष 1990 के लिए ट्रेड यूनियनों की रणनीति इस शीर्षक के अन्तर्गत एक पत्रक में यह कहा गया है कि प्रजातंत्र एवं राष्ट्र के सार्वभौमत्त्व के लिए आन्दोलन की उमंग सर्वदूर दिखाई दे रही है। यदि उक्त विचारों का प्रवेश साम्यवादी यूनियनों, राजनीतिक दलों, धार्मिक संस्थाओं, सरकार एवं सेवायोजकों में प्रवेश हो गया तो वे न केवल स्वायत्तता और स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे बल्कि उनमें प्रखर राष्ट्र भावना भी जागेगी। जिसके आधार पर वे अन्तर्राष्ट्रीयता का विचार करेंगे। इस कारण डब्ल्यू.सी.एफ.टी.यू. डब्ल्यू.सी.एल. से सम्बन्ध सभी कर्मचारियों के हित में रचनात्मक चर्चा की जाए।

इसके विपरीत आई.सी.एफ.टी.यू. पूर्वी यूरोपीय देशों की ट्रेड यूनियनों को अपने गुट में शामिल कराने के प्रयास में है। अब हवा किस ओर बहती है एवं परिस्थितियाँ क्या बनती है यह आगे देखने की बात है। विश्व की ट्रेड यूनियनों में एकता हो जाय यह कहना बेकार की बात है।

भारत में एकता का दृश्य

हमारे देश में ट्रेड यूनियनों की बहुतायत है। साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा के श्रम संगठन भी अपनी एकता कायम नहीं रख सके। राजनीतिक दलों के विघटन के साथ साथ उनके भी अनेक टुकड़े हो गये। इसके बावजूद समय समय पर विभिन्न जरूरी मुद्दों पर साझे मंच बनाए गये या आन्दोलन किए गये। इस प्रकार 1981 में सभी केन्द्रीय श्रम संघों की एक साझी समिति राष्ट्रीय अभियान समिति के नाम से बनाई गई। फिर इसमें सभी ट्रेड यूनियनें शामिल नहीं थी। इन्टक, एन.सी.सी. में सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार कुछ और भी श्रम संघ इसमें सम्मिलित नहीं हुए। फिर भी मोटे तौर पर राष्ट्रीय अभियान समिति को श्रम संघों के साझे मंच का रूप प्राप्त हो गया। तब भी विश्वशांति, राष्ट्रीय एकात्मता, रंगभेद नीति का विरोध आदि प्रमुख विषयों पर विचारार्थ वर्ष 1985 में आई. एन.टी.यू.सी. की प्रेरणा से और एक साझा मंच बनाया गया। कुछ समय तक यह भी अच्छा चला। राष्ट्रीय अभियान समिति में सम्मिलित सभी केन्द्रीय श्रम संगठन एवं आई.एन.टी.यू.सी. ने उसमें भाग लिया। द. अफ्रीका में चल रहे रंगभेद नीति के खिलाफ एवं राष्ट्रीय एकात्मता के लिए आई.एन.टी.यू.सी. के तत्वाधान में अलग-2 सम्मेलन हुए। भारत के मजदूरों द्वारा दक्षिण अफ्रीका की ट्रेड यूनियनों के लिए धन एकत्रित किया गया। परन्तु दुर्भाग्य से यह मंच अधिक दिनों तक चल नहीं सका।

दुर्भाग्य से इन दिनों राष्ट्रीय अभियान समिति के कुछ घटकों में संकुचितता प्रवेश कर गई। मैं आगे आऊँ यह भावना भी पनप उठी है। 19 सितम्बर 1990 को राष्ट्रीय अभियान समिति के कुछ घटकों ने आई.एन.टी.यू.सी. के साथ मिलकर साम्प्रदायिकता विरोधी सम्मेलन किया जिसमें भारतीय मजदूर संघ को सम्मिलित नही किया गया। भामसं. को बिना आमंत्रित किए इसका निर्णय सीटू के कार्यालय में जुलाई 1990 में लिया गया था। बाद में भा.म.सं. से उन्होंने सम्पर्क किया तो भा.म.सं. ने कहा कि साम्प्रदायिकता विरोधी अभियान में हम सम्मिलित होने को तैयार हैं किन्तु पहले साम्प्रदायिक कौन है और सांप्रदायिकता की परिभाषा क्या है यह स्पष्ट होना आवश्यक है। और उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। इसके बावजूद ट्रेड यूनियन की एकता का

विषय उस समय पुन: सामने आ गया जब एटक के भूतपूर्व महामंत्री एवं वर्तमान समय कम्युनिष्ट पार्टी के महामंत्री ने यह कहा कि राजनीतिक पार्टियाँ और ट्रेड यूनियनें अपना काम अलग करें। यह स्वागत योग्य हैं। यूनियनों के गैर राजनीतिककरण से सचमुच में ट्रेड यूनियन एकता को बल मिलेगा। कुछ यूनियनें तो यह कहती हैं कि ट्रेड यूनियन और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है। और कुछ यूनियनें कहती हैं कि हमारा राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। किन्तु उनका सारा व्यवहार राजनीतिक है।

ट्रेड यूनियनों की सच्ची एकता प्रस्थापित करने के लिए ट्रेड यूनियनों के गैर राजनीतिक स्वरूप के अतिरिक्त यूनियनों की कार्य पद्धति, समाज के सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण, राष्ट्रीय परम्पराओं के प्रति श्रद्धा, एवं अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका आदि पर भी उनका सामंजस्य होना चाहिए।

भारतीय मंजदूर संघ सही अर्थों में ट्रेड यूनियन एकता चाहता है। केवल प्रोपेगण्डा के लिए नहीं। किन्तु उसकी एकता का आधार है एकता के सभी पहलुओं पर सामंजस्य।

राष्ट्रीय अभियान समिति एवं अन्य ट्रेड यूनियन संयुक्त कार्यक्रम

ट्रेड यूनियनों की राष्ट्रीय अभियान समिति ने कई आन्दोलनात्मक एवं अभियानात्मक कार्यक्रम आयोजित किए। राष्ट्रीय अभियान समिति के सदस्य के नाते भामसं. ने उन सभी कार्यक्रमों में उत्साह एवं प्रमाणिकता से भाग लिया।

सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के अन्तरिम सहायता के भुगतान न होने, और समय-समय पर मिलने वाले लाभ देने से इन्कार, सार्वजनिक क्षेत्र की कुछ इकाईयों के निजीकरण का प्रयास आदि के कारण बड़ा असन्तोष था जिस पर भी एन. सी. सी. ने समय समय पर विचार किया।

सार्वजनिक क्षेत्र यूनियनों की समिति के 14 से 16 मार्च 1988 के त्रिदिवसीय हड़ताल का एन.सी.सी. ने समर्थन किया। इसी समय कोयला खदानों की यूनियनों के एक छ: दिवसीय हड़ताल का आहवान किया था, एन. सीसी. ने बड़ी मात्रा में समर्थन दिया। पुलिस और मैनेजमैंट द्वारा कुछ हिंसात्मक घटनाओं को यदि छोड दिया जाय तो पूरी हड़ताल शांतिपूर्ण थी।

सार्वजनिक क्षेत्र की यूनिटों में जो वेतन समझौता लम्बित था उस पर एन.सी.सी. ने सरकार पर दबाव डाला। सरकार जो इस मामले को टाल रही थी उसे अन्त में ब्यूरो आफ पब्लिक इण्टर प्राइजेज के दिशा निदेशक सूत्र को दरकिनारे रखकर समझौता करना पड़ा।

कुछ राजनीतिक दलों ने 15 मार्च 1988 को भारत बन्द का आहवान किया था, कुछ श्रम संगठनों ने इस आहवान में भाग लिया। भारतीय मजदूर संघ अपने गैर राजनीतिक चरित्र के कारण इस बन्द में सम्मिलित नहीं हुआ। परिणाम स्वरूप बन्द सफल नहीं हुआ।

एन.सी.सी. के घटकों ने रंगभेद नीति की खिलाफत की और डा० नेल्सन मण्डेला के रिहाई की मांग की। जब मण्डेला जेल सेरिहा हुए तो सभी श्रम संघों ने स्वागत समारोह आयोजित किया।

इसी काल में ट्रेड यूनियन एक्ट एवं इन्डस्ट्रियल डिस्प्यूटस एक्ट संशोधन विधेयक जो ट्रेड यूनियनों की नजर में श्रमिक विरोधी था का विषय भी एन. सी.सी. ने अपने हाथ में लिया। 18 मई 1988 को सम्पूर्ण देश में इसके विरोध में प्रदर्शन आयोजित किए गये एवं श्रमिकों ने गिरफ्तारियां दी। दिल्ली में हमारे अध्यक्ष श्री मनहर भाई मेहता ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया एवं गिरफ्तारी दी।

उक्त विधेयक का सर्वत्र विरोध होने के कारण अनतोगत्वा सरकार ने इसे वापस ले लिया।

तीसरा विषय आधार वर्ष 1960 की पुरानी सिरीज के स्थान पर नयी सिरीज आधार वर्ष 1982 के आधार पर श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लागू करने के बारे में था। नयी सीरीज में कई त्रुटियाँ थी। इसके विरोध में सम्पूर्ण देश में शिक्षात्मक एवं आन्दोलनात्मक अभियान चलाया गया।

सरकार नयी सिरीज लागू करने पर अड़ी हुई थी। उसने अक्टूबर 1988 से इसे लागू भी किया। परन्तु मजदूरों का रोष कम करने के लिए लिंकिंग फैक्टर नं० जो 4.75 था को 4.93 करना पड़ा।

तालाबन्दी, छटनी एवं कारखाना बन्दी के विरोध में आन्दोलन एवं अभियान चलाये गये। 30 अगस्त 1988 को विरोध दिवस मनाया गया। 23 सितम्बर 1989 को असंगठित मजदूरों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। जिसमें असंगठित मजदूरों को न्यूनतम वेतन दिए जाने, इस वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ने, न्यूनतम वेतन कानून में संशोधन करने, महिला कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने, बाल श्रमिकों की समस्या का निराकरण करने आदि के बारे में विचार कर समस्या को हल करने के बारे में विचार हुआ। और इस निमित्त प्रदेश स्तर पर धरना, प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया गया।

केन्द्र में नयी सरकार बनने के बाद एन.सी.सी. के प्रतिनिधियों ने नये केन्द्रीय श्रममंत्री से भेंट कर उनका स्वागत किया और विलम्बित समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। भारतीय मजदूर संघ इन सभी कार्यक्रमों में आगे था।

7. आर्थिक आत्म-निर्भरता

1987 के अपने बंगलौर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया था कि अधिवेशन के खर्च के लिए कर्नाटक प्रदेश के कार्य कर्त्ताओं से धन एकत्र किया जाय। इस आह्वान को अच्छा प्रतिसाद मिला। भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध कर्नाटक राज्य की यूनियनों के कार्यकर्ताओं ने एक दिन का वेतन दिया। पर्याप्त धन एकत्रित हुआ और इस बात की आवश्यकता नहीं पड़ी कि स्मारिका के माध्यम से विज्ञापन प्राप्तकर धन संग्रह किया जाय। इस बात का सर्वत्र स्वागत हुआ एवं ट्रेड यूनियनों में आत्म निर्भर होने की आकांक्षा जागृत हुई।

इसके पश्चात कई राज्यों में यही पद्धति अपनाई गई। यह अधिवेशन भी इसमें अपवाद नहीं है। इस स्वस्थ सिद्धान्त और परम्परा का पालन होना आवश्यक है।

धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है जो यहां प्रस्तुत किए गये आयव्यय पत्रक से सिद्ध हो रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सब इसे एकमत से स्वीकार करेंगे। इसमें एक बात ध्यान में आती है कि हमें अपने आय के श्रोत बढ़ाने होंगे ताकि भारतीय मजदूर संघ आर्थिक दृष्टि से ठोस बने। इसके लिए हम सबको अधिक प्रयत्न करना होगा।

साहित्य प्रकाशन

"भारतीय श्रम शोध मण्डल के नाम से भारतीय मजदूर संघ का शोध एवं प्रकाशन विभाग बंबई एवम् पूना में काम कर रहा है। राज्य शाखायें भी स्थानीय भाषा में पुस्तकें प्रकाशित करती है। सामयिक तथा महत्व के विषयों पर शोध-पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने हेतु इस विभाग को अधिक सक्षम बनाना आवश्यक है। आने वाले समय में हमें इस पर अधिक ध्यान देना होगा।

भा.म.सं. ने इस बीच निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित की -

हिन्दी - संकेत रेखा, राष्ट्रीय प्रतिबद्धता एवं हमारा अधिष्ठान।

अंग्रेजी - **दि प्लीज, दि पैलेडियन पैलेवर एण्ड दी पैनपली, वार अगेन्स्ट फारेन एकोनामिक इम्पिरियलिज़म, स्ट्रगल, वी एक्यूज, ब्लॅक - बिल एक्सरेड, बी०एम०एस० आन कन्ज्यूमर प्राइज इन्डेक्स नम्बर्स,**

भारतीय मजदूर संघ का तानाबाना

भारतीय मजदूर संघ के ढांचे में औद्योगिक महासंघ एवं प्रादेशिक इकाइयाँ ताना और बाना के समान हैं जिसमें एक आडे एवं दूसरा खडे धागे की भाँति हैं। दोनों आपसी सहयोग एवं सामंजस्य से काम करते हैं। औद्योगिक महासंघ तथा प्रादेशिक इकाइयाँ इस ढांचे में समान महत्व की है। औद्योगिक महासंघ भा.म.सं. से सम्बद्ध होते हैं और प्रदेश इकाईयाँ इस ढांचे के अंग के रूप में विद्यमान हैं। विदेशों में राष्ट्रीय स्तर के श्रम संगठन औद्योगिक महासंघों से बने हैं। देश का छोटा आकार एवं उनके प्रशासन के ढांचे के कारण वहां प्रादेशिक इकाईयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। किन्तु हमारे यहां स्थिति भिन्न है। हमारा देश बड़ा है और इस की जनसंख्या भी बड़ी है। केन्द्र और राज्यों में भी श्रम विभाग होता है। ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण राज्यस्तर पर होता है। एवं वार्षिक विवरण भी राज्य सरकार के रजिस्टार ट्रेड यूनियन को देना होता है। कई यूनियनें औद्योगिक फैडरेशन की सीमा में नहीं आती है। इसी कारण राज्य में स्थित यूनियनें एवं महासंघों का तालमेल बिठाने की दृष्टि से राज्य सरकार का श्रम विभाग होना आवश्यक होता है। यही कारण है कि भारतीय मजदूर संघ के ढांचे में महासंघों और प्रादेशिक इकाईयों को समान महत्व दिया गया है इसलिए यह अपेक्षित है कि वे मिलजुल कर आपसी सामंजस्य के साथ काम करें।

इसी उद्देश्य से 12 फरवरी 1989 को भोपाल में संचालन समिति के सदस्यों के साथ सभी महासंघों के महामन्त्रियों की बैठक सम्पन्न हुई जिसमें कार्य करते समय आने वाली

कठिनाईयों पर विचार हुआ। इस प्रकार की बैठकें होते रहने से भारतीय मजदूर संघ के कार्य में अधिक सुविधा उत्पन्न होगी।

मंदिर निर्माण राष्ट्रीय सम्मान का विषय

अयोध्या श्री रामचन्द्र जी का जन्म स्थान है। श्री राम केवल भारतीयों के ही नहीं अपितु समूचे विश्व के लिए वन्दनीय हैं। भारत में अधिकांश हिन्दू उन्हें ईश्वर का अवतार मानते हैं। कुछ उन्हें भगवान के रूप में नहीं मानते। ऐसा किसी से जबरिया करवाया भी नहीं जा सकता है। परन्तु प्रत्येक भारतीय के लिए भले ही वह हिन्दू न हो, भगवान राम सबके लिए राष्ट्र पुरुष हैं और राष्ट्र के मानबिन्दु हैं। उनके बारे में कोई विवाद न है न होना चाहिये। यह भी सत्य है कि इण्डोनेशिया जैसे अन्य देशों में भी जहां इस्लाम धर्म का प्रभुत्व है, श्रीराम को लोग मानते हैं। उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन किया है परन्तु क्या वे अपने पूर्वजों एवं परम्पराओं को बदल सकते हैं? किन्तु दुर्भाग्य से क्षुद्र मनोवृत्ति के नेता, शरारती तत्व एवं कट्टरतावादी तत्व हिन्दुओं को मन्दिर सौंपे जाने के सम्बन्ध में हर छोटी मोटी बात का विरोध करते हैं एवं बाधा डालते हैं। यह उचित नहीं! इसे प्रोत्साहन नहीं दिया जा सकता है।

विदेशी आक्रमण के शिकार प्रत्येक देश में आक्रमकों ने वहां के राष्ट्रीय मान – बिन्दुओं को नष्ट करने का प्रयास किया है। अत: यह आवश्यक होता है कि देश के राष्ट्रीय मान बिन्दुओं की पुनर्प्रतिष्ठा हो जिससे पराजय के कलंक मिटें एवं राष्ट्रीय अस्मिता का भाव जगे। पोलेण्ड में ऐसा ही हुआ था। रूस में भी हिटलर की सेनाओं को खदेड़ने के बाद ऐसा ही किया गया था। यह सब स्वाभाविक है।

इसी क्रम में भारत में पूर्व के राम मंदिर के स्थान पर मंदिर के पुनर्निर्माण की योजना बनी है तो इससे प्रत्येक भारतीय को चाहे वह किसी भी पंथ या मत का हो, प्रसन्नता होनी चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति इस श्रेष्ठ कार्य में यथा-सम्भव सहायता करे। भा.म.सं. सोचता है कि उसके कार्यकर्ता इस कार्य को राष्ट्रीय अस्मिता का एक श्रेष्ठ कार्य मानकर उसमें भाग लें।

कार्यसमिति की बैठक

भा.म.सं. की केन्द्रीय कार्य समिति संविधान के अनुसार 6 माह में एक बार नियमित रूप से अपनी बैठक करती रही है। साधारणत: यह बैठक तीन दिनों की हुई है। परन्तु कुछ कारणों से कुछ बैठकें कम समय की हुई हैं। जिनमें ऐसी एक दिवसीय बैठक बंगलौर अधिवेशन के तुरन्त बाद 29-12-87 को हुई। छठी मीटिंग नागपुर में 4-5 फरवरी 1990 को हुई।

बैठकों में औसत उपस्थिति साधारणत: 85% रही है। इस बीच प्रदेशों के महामंत्रियों, महासंघों के महामंत्रियों के बदल जाने पर कार्यसमिति सदस्यों में भी बदल होता रहा। इस प्रकार से कार्यकारिणी में जो सदस्य सम्मिलित हुए वे हैं श्री विश्वनाथन – भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, श्री कुमार अशोक विजय – बिहार, श्री एम.पी. पटवर्धन, एन. ओ आई. डब्ल्यू. श्री मानस

मुखर्जी बी.टी.ई.एफ. पुती गावंकर - गोवा। श्री पुती गावंकर को गोवा प्रदेश की समिति बन जाने पर सदस्य के रूप में लिया गया।

बन्धुओं एवं बहनों। वर्ष 1955 से जब से भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई तब से आज तक हम लोगों ने एक लम्बा रास्ता तय किया जिसमें अनेक उतार चढ़ाव एवं मोड़ आये। इसका सिंहावलोकन करने से हमें गौरव की अनुभूति होती है। परन्तु जब हम आगे देखते हैं तो यह भी ध्यान में आता है कि अब भी हमें काफ़ी लम्बा रास्ता तय करना है। हमें राष्ट्र के परमवैभव के प्रिय लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अधिक उत्साह एवं समर्पण के साथ गतिशील होना होगा, दौड़ना होगा एवं राष्ट्र के पुनर्निर्माण के प्रत्येक क्षेत्र में लगे हुए बन्धुओं एवं बहनों के साथ मिलकर अपनी मातृभूमि का गौरव बढाना होगा। इस कार्य में हम किसी से पीछे न रहें। विगत तीन वर्षों से अपने कार्य के विस्तार के लिए और उसे प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। अब तक हमने जो कुछ पाया है उसका उपयोग करते हुए सैद्धान्तिक संगठनात्मक, आत्मानुशासन को सुदृढ करना चाहिये। इस काम में ढिलाई बरतना ठीक नहीं होगा।

केन्द्रीय कार्यालय

अपने केन्द्रीय कार्यालय में विभिन्न कार्यों से संबंधित चहल पहल बनी रही। देश के विभिन्न भागों से तथा विदेशों से भी कई बन्धु आए एवं भा.म.सं. तथा इसके कार्य का उन्होंने निरीक्षण एवं अवलोकन किया। विदेशों से आए व्यक्तियों की सूची "पृरक" में दी गई है। परन्तु इनमें से कुछ प्रमुख व्यक्तियों का उल्लेख यहां है -

श्री ॲनातोली लिमोफोव्ह, डिप्टी डायरेक्टर, आय.एल.ओ. आफिस, नई दिल्ली। एवं इसी आफिस के सर्वश्री टी.सी. राव, जार्ज जेम्स, शैषय्या, एवं वैद्यनाथन्, श्री रामानुजम्, अध्यक्ष, आय. एन.टी.यू.सी. श्री गोपेश्वर, महामन्त्री - आय. एन. टी. यू.सी. श्री होमी दाजी, सेक्रेटरी ए.आय.टी.यू.सी. ये एवं आय.एन.टी.यू.सी. के कुछ अन्य कार्यकर्त्ताओं ने व्यक्तिशः अपने कार्यालय में आकर, स्व० श्री मनहर भाई मेहता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की एवं शोक व्यक्त किया।

औद्योगिक सुरक्षा संबंधी अपनी कार्यशालाओं का संचालन करने वाले श्री महर्षि मेहता एवं छः साल तक दिल्ली में चीफ लेबर कमिशनर के रूप में कार्य करने के पश्चात अपने गृह राज्य कर्नाटक में कार्यभार सम्हालने हेतु जाने वाले श्री पी.डी. शेनॉय - इन दोनों का अपने कार्यालय में सत्कार किया गया। श्री जी.ए.खान, ए.एल.सी. (टी.यू.) लेबर डायरेक्टर, पश्चिम बंगाल भी कार्यालय में आने वाले प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे।

अपने केन्द्रीय कार्यालय में डा० हेडगेवार जन्म शताब्दी समारोह मनाया गया। इसमें काफी लोग आमंत्रित थे। राष्ट्रीय श्रम दिवस भी मनाया गया जिसमें प्रमुख आमंत्रित व्यक्ति थे - आय. एन. टी.यू.सी. एवं ए.आय.टी.यू.सी के बन्धु, आय. एल.ओ. के पदाधिकारी तथा अमरीकी दूतावास के कुछ प्रमुख लोग।

हमने कहा है कि सदस्यों की संख्यात्मक वृद्धि के साथ गुणात्मक वृद्धि भी होनी चाहिये। इसके लिए निरन्तर संस्कार आवश्यक है। सर्व साधारण सदस्यों को शिक्षित करने की दृष्टि से शिक्षकों की एक टीम खड़ी करनी पड़ेगी जो उन्हें योग्य रीति से शिक्षा दे। द्रुतगति से बदलने वाले इस विश्व में हमें अपनी रणनीति में परिस्थिति के अनुसार बदल करना होगा। समय की मांग है कि हम सदा ही सतर्क रहें और स्वयं अध्ययन करें और दूसरों को भी प्रबुद्ध बनाये। यह एक नियमित प्रक्रिया बने।

हमने दो योजनाएं प्रारम्भ की हैं - प्रथम योजना के अन्तर्गत सोचा गया है कि प्रत्येक बड़े नगर या शहर में कार्य की आवश्यकता के अनुरूप 10 से 50 तक कार्य कर्त्ताओं का एक समूह हो जो प्रति दो मास में कम से कम एक बार मिलें और विभिन्न क्षेत्रों के तज्ञों को आमंत्रित करें। उनके साथ उन विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान करें तथा अपनी समझदारी और ज्ञान बढ़ाते हुए उन तज्ञों को भी भारतीय मजदूर संघ के सिद्धान्त और कार्य से परिचित करायें। इससे भारतीय मजदूर संघ की आधार-भूत धुरा तैयार हो जायेगी और बाहरी दुनिया के साथ अपना सम्पर्क बढ़ेगा। इस तरह अपनी गतिविधियों के प्रत्येक केन्द्र में ऐसी ही एक धुरा स्वरूप टोली निर्माण करनी होगी।

द्वितीय योजना में यह विचार है कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता किसी एक विषय जिसके बारे में उसे अभिरूचि है का गहन अध्ययन करे तथा उसका तज्ञ बने। अपने संगठन में ऐसे तज्ञों का एक प्रकोष्ठ बने जहां से हमारे कार्यकर्ता आवश्यक राय या सहायता लेकर समस्याओं का निराकरण कर सकें जो सर्वोत्तम सिद्ध हो।

आपके सामने यह प्रस्ताव है कि आज से 17 सितम्बर 1991 के राष्ट्रीय श्रम दिवस तक का समय असंगठित श्रमिक वर्ष के रूप में मनाया जाय। हम पिछड़े हुए इन करोड़ों बन्धुओं के लिए कुछ करें ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो।

अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अथक परिश्रम करते हुए हम निरन्तर आगे बढ़ सकें, इस हेतु हम इस अधिवेशन से प्रेरणा एवं मार्ग दर्शन प्राप्त करें।

अपना वृत्त कथन समाप्त करने से पूर्व मैं आप सबको धन्यवाद देना आवश्यक समझता हूँ। आप सबके सहयोग से ही मैं इतने बड़े संगठन के महामत्री के रूप में कार्य कर सका हूँ। जो कुछ सफलता है वह आपके एवं संगठन के कारण ही है एवं जो कुछ त्रुटियां हुई होगी वह मेरे कारण हैं। इन शब्दों के साथ मैं यह छोटा सा वृत्त कथन समाप्त करता हूँ एवं आप सबको नमस्कार करते हुए अपना स्थान ग्रहण करता हूँ।

बन्दे मातरम् !

अहमदाबाद 25-27 अक्टूबर 1990

जी० प्रभाकर
महामंत्री

राज्य इकाईयों की कुछ मुख्य गतिविधियों पर निम्न पंक्तियों में प्रकाश डाला गया है।

1. तमिल नाडु :-

इस राज्य में एक नयें क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ हुआ है। कोयम्बटूर में यातायात और कपड़ा मिल उद्योग में यूनियनें गठित की गई।

दक्षिणी क्षेत्र के जिले कन्याकुमारी में बागानों और परिवहन उद्योगों में नई यूनियनें बनाई गई हैं। इण्डियन रेयर अर्थ लि० - सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने में नई यूनियन ने कार्य प्रारम्भ कर दिया है। सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य दो उद्योगों - निवेली लिगनाइट लि० निवेली, और आय. डी.पी.एल. मद्रास में भी हमारी यूनियनें कार्यरत हैं। आय.डी.पी.एल. में हमारी यूनियन का पंजीयन होने के पहले ही सदस्यों ने क्लब के चुनाव में चार में से तीन स्थान जीत लिये थे।

कोयम्बटूर में कपड़ामिल मजदूरों ने व्यवस्थापकों का अपनी मांगों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए भोजन का तथा अन्य अवकाश न लेकर निरन्तर काम किया और उत्पादन में 18.4 की वृद्धि की। किन्तु प्रबन्धकों द्वारा ध्यान न दिये जाने के कारण अन्ततः उन्हें 15 दिन की हड़ताल भी करनी पड़ी।

दक्षिण रेलवे कार्मिक संघ एवं आय.सी.एफ. कार्मिक संघ के सदस्य हृदय की शस्त्रक्रियाओं के लिए रक्तदान में सबसे आगे रहे।

तिरूची में राज्य भा.म.सं. के अधिवेशन में तीन सौ सदस्यों ने भाग लिया। संघ पडल नाम से तमिल में एक मासिक भी प्रकाशित की जाता है।

2. केरल :-

यूनियनों की संख्या बढ़कर 150 हो गई है। दो और जिलों में जिला समितियां बनाई गई हैं। अब 14 में से 10 जिलों में जिला समितियां कार्यरत हैं। शेष चार जिलों में भी संयोजक नियुक्त किए गये हैं।

महिला विभाग का कार्य भी आरम्भ हुआ है। कोंडुगोलुर में मछुओं का पहला अधिवेशन हुआ। इसमें 278 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन के उपलक्ष में निकाली गई शोभायात्रा में 6000 प्रतिनिधि थे।

असंगठित क्षेत्र में सिर पर बोझा उठाने वाले मजदूरों की युनियनें 12 जिलों में काफ़ी ताकतवर हैं। कल्याण मण्डल के प्रधान कार्यालय पर अर्नाकुलम में सितम्बर 1989 में हुए धरने में 4000 बोझा मजदूरों ने भाग लिया।

''मजदूर भारती'' नाम से मलयालम भाषा में एक मासिक प्रकाशित किया जाता है।

केरल प्रदेश भारतीय मजदूर संघ का अधिवेशन ''प्रधानम थित्ता'' में मई 1990 में हुआ इसमें 36 महिलाओं सहित 801 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर निकाली गई शोभा यात्रा में आस पास के केवल 5 जिलों के 15 हजार मजदूरों ने भाग लिया।

पाण्डीचेरी :-

पाण्डेचेरी राज्य में कपड़ा मजदूरों की दो यूनियनें माहे में कार्यरत हैं। माहे पश्चिमी तट पर है। चारों ओर केरल प्रदेश से घिरा होने के कारण इन दो यूनियनों का कार्य केरल प्रदेश भा.म.सं. ही देखता है।

3. कर्नाटक :-

मजदूरों का समर्थन ज्ञात करने के लिये थोड़े ही दिन पूर्व कराये गये गुप्त मतदान में, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सार्वजनिक क्षेत्र के एक बड़े कारखाने, तथा हरिहर, हुबली तथा सन्तुर इन तीन जगहों पर कारखाने चलाने वाली मैसूर किर्लोस्कर लि० में हमारी यूनियनों ने सर्वाधिक मत प्राप्त कर मान्यता तथा प्रबन्धकों से वार्तालाप के अधिकार प्राप्त किये। किर्लोस्कर कम्पनी में हमारी यूनियन एक मेव प्रतिनिधि है किन्तु भारत इलैक्ट्रॉनिक्स में हमारी यूनियन प्रमुख प्रतिनिधि है और उसके साथ एक दूसरी सहयोगी प्रतिनिधि यूनियन भी है।

''केनरा बैंक'' और सिंडिकेट बैंक की हमारी यूनियनों ने बंगलौर में 1989 में अपने अधिवेशनों में स्थापना के रजत महोत्सव मनाए।

20 में से 16 जिलों में हमारी पंजीकृत यूनियनें है और 9 जिलों में जिला समितियां है

4. आन्ध्र प्रदेश :-

आन्ध्र प्रदेश भारतीय मजदूर संघ द्वारा ''कार्मिक भारती'' नाम से एक तेलगू मासिक प्रकाशित किया जाता है।

1990 में मान्यता के लिये हुए गुप्त मतदान में हैदराबाद के आय.डी.पी.एल. इकाई एवं अलवीन उद्योगों में भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध यूनियनें प्रथम क्रमांकपर आई हैं। आय.डी.पी.एल. में उद्योग स्तर पर समझौता हुआ है। चीनी उद्योग में भी उद्योग स्तर पर किए गए समझौते में भा.म.सं. भी शामिल था।

अगस्त मास में करीम नगर जिले के रामगुंडम् सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट में कराये गये गुप्त मतदान में भा.म.सं. की यूनियनों को सर्वाधिक मत मिले।

5. गोआ :-

26 मार्च 1989 को पोन्डा में संपन्न अधिवेशन में गोआ की प्रदेश भा.म.सं. इकाई का गठन किया गया। करीब 200 प्रतिनिधियों ने अधिवेशन में भाग लिया। कार्यरत यूनियनें प्रमुखत: कदम्ब यातायात, खदानें और छोटे इंजीनियरिंग कारखाने में है।

6. महाराष्ट्र :-

महाराष्ट्र (विदर्भ का विवरण अलग से दिया गया है) में चहुमुखी प्रगति हो रही है।

करीब 44 नगरपालिकाओं में भा.म.सं. की यूनियनें हैं। जन स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत मलेरिया विभाग में 14000 कर्मचारियों के लिये कठिन संघर्ष और पूना - बम्बई मोर्चा के बाद चार सौ रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की गई है।

- सोलापुर जिले में कार्य तेजी से बढ़ रहा है। 2000 मजदूर वाले शिवाजी वर्क्स एण्ड इंजीनियरिंग - कारखाने में भा.म.सं. की प्रभावी यूनियन है। जिले में कार्य द्रुतगति से बढ़ रहा है।

घरेलू कर्मचारियों की सेवा शर्तों के विषय में एक कानून बनाने की मांग पर बम्बई में चार हजार मजदूरों का मोर्चा निकाला गया।

- रायगढ़ जिले में सड़क मजदूरों को संगठित किया गया है। 500 मजदूरों का प्रदर्शन हुआ। जिसके बाद में 60 कर्मचारियों को स्थाई बनाया गया। कोल्हापुर जिले में हमालों (माल चढ़ाने - उतारने वालों) की यूनियन भारतीय मजदूर संघ द्वारा बनाई गई है। पुणे में कई समझौते किये गये जिनसे मजदूरों को रु० 375 से 600/- रु० का लाभ हुआ।
- राज्य के 21 जिलों में से 18 में हमारी यूनियनें हैं और उनमें से 16 जिलों में जिला समितियां बनाई गई हैं।

विदर्भ :-

प्रदेश के सभी 9 जिलों में यूनियनें हैं और जिला समितियां भी गठित की गई हैं।

इस कालखण्ड में सीमेन्ट और इस्पात उद्योगों में प्रवेश किया गया है। भंडारा जिले की अशोक लेलैंड आटोमोबाइल फैक्ट्री में यूनियन बनाई गई है।

पहाड़ी और जंगली और नक्सलियों के आतंक से ग्रस्त गढचिरौली जिले में भी भा.म.सं. ने अपने पैर जमाये हैं।

एप्रेस कपड़ा मिल नागपुर के 1500 मजदूरों द्वारा पुरानी यूनियन को छोड़कर भा.म.सं. की यूनियन में आने के कारण भा.म.सं. को बहुत लाभ हुआ है।

डाकतार विभाग के एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल, बिजली मण्डल के लाईनमैन और ग्रामीण बैंकों के कर्मचारी मिलकर कृषि मजदूर और ग्रामीण मजदूरों को संगठित कर रहे हैं।

महिला विभाग का संगठन कार्य नियमित रूप से चलता है केवल महिलाओं के तीन अभ्यास वर्ग आयोजित किये गये।

मंदिरों के कर्मचारियों की भी एक यूनियन बनी है। गांव के गजानन महाराज मंदिर के सभी 385 कर्मचारी यूनियन के सदस्य हैं।

8. गुजरात :-

इस काल खण्ड में - कोयला, तेलशोधक कारखाना, बडौदा, टाटा कैमिकल्स मिठापुर, में काम शुरू हुआ, रेलवें, बैंक, बीमा निगम, बन्दरगाह (पोर्ट डॉक) डाकतार और टेलिफोन विभाग के काम में गति बढ़ाई गई।

जूनागढ़ में अन्तरर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से कृषि मजदूरों के लिये अभ्यास वर्ग चलाया गया जिसमें 40 कृषि मजदूरों ने भाग लिया।

सितम्बर 1989 में राज्य विधान सभा के सामने एक प्रदर्शन किया गया। इसमें 3000 मजदूरों ने भाग लिया।

पेट्रोरसायन उद्योग की महिलाओं के लिये एक प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर महिला विभाग का कार्य भी शुरू किया गया।

9. मध्य प्रदेश :-

इस प्रदेश का दो तिहाई भाग पिछड़ा क्षेत्र समझा जाता है जिसमें बहुत ही कम उद्योग हैं। अत: मजदूर संघ को भी अपने काम का विस्तार ग्रामीण मजदूरों एवं वनवासीयों में करना पड़ा है।

अन्तरर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की मदद से धमतरी में अक्टूबर 1988 में आयोजित आवासीय प्रशिक्षण वर्ग में 75 पुरुष और 65 महिला मजदूरों ने भाग लिया। अगस्त 1989 के झाबुआ में सम्पन्न ऐसे ही वर्ग में 41 पुरुष और 12 महिला मजदूरों ने भाग लिया।

श्रम मंत्रालय के लिये एक मंत्रि-मण्डलीय स्तर के मंत्री की नियुक्ति तथा श्रम न्यायालयों की संख्या में वृद्धि की मांगों पर 12 मई 1989 को राज्य विधान सभा पर हुए प्रदर्शन में 2000 मजदूरों ने भाग लिया, गिरफ्तारी दी। सीहोर और मुरेना के कुछ मजदूर पैदल चलकर आये। मुरेना के मजदूर 400 किलो मीटर से ज्यादा पैदल चले।

मलाजखंड तांबा उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र के कारखानों की तीन दिन की हड़ताल का पुलिस के गोली चलाने से हुई श्री एस.डी. गोयल और आर.एल. यादव की मृत्यु के कारण बहुत दु:खद अन्त हुआ।

फरवरी 1989 में भोपाल में अखिल भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी संघ का अधिवेशन हुआ जिसमें अखिल भारतीय समिति का गठन किया गया।

बालकों कर्मचारी संघ को वेतन पुनर्निर्धारण के लिये एक लम्बा आन्दोलन करना पड़ा। भेल में सभी यूनियनों ने मिलकर एक लंबा 148 दिन का क्रमिक भूख हडताल का कार्यक्रम किया। इस में हमारी युनियन के 72 सदस्यों ने भाग लिया।

45 जिलों में से 35 जिलों में यूनियनें हैं इनमें से 11 जिलों में जिला समितियाँ कार्यरत हैं।

राजस्थान :-

राज्य के 27 जिलों में से 25 में भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें हैं। 17 जिलों में जिला समितियां गठित की गई हैं और यूनियनों की संख्या अब बढ़कर 240 से अधिक हो गई है।

संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में मजदूरों की यूनियनें बनाई गई हैं। असंगठित क्षेत्र में प्रमुखतया, कृषि, सरकारी उद्योग, संगमरमर खदानें, अन्य पत्थर खदानें, वनविभाग, और सिंचाई विभाग में भा.म.सं. की यूनियनें कार्यरत हैं। जलसंपूर्ति विभाग की एकमेव यूनियन भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध है।

राज्य विधान सभा के सामने 20 हजार मजदूरों का 31 मार्च 1989 को हुआ प्रदर्शन कालखण्ड के कार्य का चमकदार प्रदर्शन है।

संगठित क्षेत्र में यूनियनें - रेलवे, बैंक, बिजली, कपड़ा, इंजीनियरिंग, चमड़ा और तम्बाकू उद्योग में काम कर रही है।

संगठन की दृष्टि से राज्य का 6 मंडलों में विभाजन किया गया है। कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये नियमित अभ्यास वर्ग चलाये जाते हैं।

प्रदेश अधिवेशन में 2500 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इन्स्ट्रुमेन्टेशन कर्मचारी, और एन.ओ.बी. डब्ल्यू. की राज्य शाखाओं ने अपनी रजत जयन्ती मनाई है। सिंचाई मजदूरों के एक आन्दोलन में पुलिस की गोली से एक मजदूर "श्रवण कुमार" मारा गया।

12. हरियाणा :-

हरियाणा राज्य के 16 जिलों में से 14 में हमारी यूनियनें है 8 जिलों में जिला समितियां भी हैं।

आय.डी.पी.एल. और एन.एफ.एल. में यूनियनें गठित कर भामसं. ने राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश किया है।

सिरसा, नरवाना, फतेहाबाद, डबवाली, गुहाना जैसे कई औद्योगिक क्षेत्रों में काम प्रारम्भ हुआ है।

असंगठित क्षेत्र में सिरसा में ईंटभट्ठा, कालका पैटेल, फेरी वालों, नरवाना में आटोरिक्शा वाला और भिवानी में कृषि मजदूरों में काम शुरू हुआ है। सोनीपत में गृहनिर्माण में लगे मजदूरों की यूनियन बनाई गई है।

सिरसा में भट्ठा मजदूरों के 17 दिन की हड़ताल की अन्त में मजदूरी में बढ़ोतरी का समझौता हुआ।

कुल 4000 मिनि बैंक कर्मचारियों में से 3200 ने अप्रैल 1990 में चंडीगढ़ में प्रदर्शन में भाग लिया। फरीदाबाद में सम्पन्न अभ्यास वर्ग में 215 कार्य कर्त्ताओं ने भाग लिया। फरीदाबाद इकाई ने अप्रैल 1990 में "कश्मीर बचाओ सम्मेलन किया और जम्मू काश्मीर शरणार्थियों के लिये धन संग्रह किया।

13. पंजाब :-

उग्रवादियों की गतिविधियों के अशांत परिस्थिति के बावजूद राज्य के सभी बारह जिलों में भारतीय मजदूर संघ का काम अच्छी तरह से चल रहा है। 10 जिलों में जिला समितियां कार्यरत हैं।

मार्च 1988 में सम्पन्न राज्य प्रशिक्षण वर्ग में 200 कार्य कर्ताओं ने भाग लिया। फरवरी 1988 में जालन्धर में सम्पन्न जिला स्तरीय शांति सम्मेलन में 4000 मजदूरों ने भाग लिया। फरवरी 1989 में चंडीगढ में 13000 मजदूरों ने एक विशाल प्रदर्शन किया बाद में एक प्रतिनिधि मण्डल ने राज्यपाल को पंजाब के मजदूरों का एक मांग पत्र प्रस्तुत किया। अक्टूबर 1989 में राज्य कर्मचारियों का अधिवेशन हुआ। इसमें 500 कर्मचारियों ने भाग लिया। अगस्त 1990 में चंडीगढ़ में हुए नगरपालिका कर्मचारी के सम्मेलन में 6000 कर्मचारियों ने भाग लिया।

14. चण्डीगढ :-

केन्द्र शासित प्रदेश चंडीगढ में 15 यूनियनें कार्यरत हैं। उनकी सदस्य संख्या 5000 है। तीन कार्यकर्ता श्री राजपाल शर्मा, श्री रोशन लाल ग्रोहर और महन्त त्रिपाठी उग्रवादियों के हाथों शहीद हुए।

15. जम्मू काश्मीर:-

विद्रोही आतंकवादियों की हिंसात्मक कार्यवाहियों के निरन्तर चलते रहने के बावजूद जम्मू - कश्मीर भारतीय मजदूर संघ ने अपनी यूनियनों की संख्या न केवल टिकाई है बल्कि उसमें वृद्धि की है। आन्दोलन और प्रशिक्षणात्मक कार्यक्रम नियमित रूप से चलते हैं। कुल 14 जिलों में से 5 में हमारी यूनियनें हैं। पांचों जिलों में जिला समितियां भी कार्यरत हैं।

ऊधमपुर जिले में जनवरी 1990 में जिला समिति बनाई गई।

महिला मजदूरों के संगठन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। श्रमिक शिक्षा संस्था बम्बई द्वारा आयोजित विशेष प्रशिक्षण वर्ग में राज्य की एक महिला ने भाग लिया। आंगन-बाड़ी महिला कर्मचारियों को भी संगठित किया जा रहा है।

दो हड़तालें भी हुई हैं। इसमेंको में मार्च 1990 से चल रही हड़ताल अभी चालू है। जम्मू काश्मीर सहकारी बैंक कर्मचारियों की हड़ताल प्रमुख मांगे मान लिये जाने के कारण समाप्त हो गई हैं।

हिमाचल प्रदेश

गत बंगलौर अधिवेशन के बाद से हिमाचल प्रदेश में 15 यूनियनें और भी जुड गई हैं। इनमें से कुछ यूनियनों के सम्बद्धता सम्बंधी आवेदन केन्द्रीय कार्यालय में हैं जो शीघ्र ही निबटाये जाऐंगे। वर्तमान 70 यूनियनें हैं। कांगड़ा, ऊना, सोलन, और सिरमोर जिलों में 7 औद्योगिक केन्द्र हैं। जिनमें एक छोड़कर सभी में अपना कार्य है। इनमें से तीन औद्योगिक केन्द्रों में मात्र भारतीय मजदूर संघ ही कार्यरत है।

हिमाचल ग्रामीण बैंक, हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाय कारपोरेशन एवं रोड ट्रांसपोर्ट में अपनी मांगों की पूर्ति हेतु आन्दोलन करने पड़े। रूरल को-आपरेटिव कमेटीज के सेक्रेटरियों की यूनियन राज्य व्यापी है एवं टूरिजम विभाग के कर्मचारियों का संगठन भी बन चुका है।

11. दिल्ली :-

दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारियों को चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग पर की गई हड़ताल में भारतीय मजदूर संघ की यूनियन ने जोर-शोर से भाग लिया। सरकार ने हठीला रुख अपनाकर 3 हजार कर्मचारियों को बरखास्त कर मजदूरों की आवाज को दबाने की कोशिश की। भारतीय मजदूर संघ को भी दमन का प्रहार सहना पड़ा। 1500 (पन्द्रह सौ) कार्यकर्त्ताओं को बरखास्तगी के आदेश मिले। यूनियन ने बड़े धैर्य और साहस से कानूनी एवं आन्दोलनात्मक संघर्ष चालू रखा। अन्ततः सभी बरखास्त कर्मचारियों को वापस काम पर लिया गया।

बेलटेक टी.वी. कम्पनी के प्रबन्धकों ने जब यूनियन की मांगों पर समझौता करने के बजाय दुर्व्यवहार (अनफेअर लेबर प्रेक्टिसेस) करना शुरू किया तो श्रम विभाग द्वारा उसके विरुद्ध अपराधिक कार्यवाही शुरू कराने में भारतीय मजदूर संघ सफल रहा। यह अपनी तरह की पहली घटना है। टोबो कारखाने में भी मजदूरों के मौलिक अधिकारों के लिये मजदूर भा.म.सं. के नेतृत्व में संघर्ष कर रहे हैं।

राज्य में महिला विभाग का कार्य भी शुरू हुआ है। राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर आयोजित शोभा यात्रा और सभा में पांच हजार से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया।

17. उत्तर प्रदेश :-

63 जिलों में से 58 में भा.म.सं. की यूनियनें हैं 42 जिलों में समितियां भी गठित की गई हैं। सब राज्यों में बड़ा होने के कारण इसमें यूनियनों और सदस्यों की संख्या भी सर्वाधिक क्रमशः 467 और 550000 है।

महिला मजदूरों के संगठन की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है।

भारतीय मजदूर संघ का मुखपत्र "भारतीय मजदूर संघ समाचार" पाक्षिक कानपुर से प्रकाशित होता है।

फरवरी 1989 में प्रदेश को हिला देने वाले कपड़ा मजदूरों के आन्दोलन में भारतीय मजदूर संघ ने अगुवाई की थी।

साम्यवादी देशों में हो रहे सर्वव्यापी परिवर्तन की एक झलक कानपुर में भी दिखाई दी जब सीटू से सम्बन्द्ध दो कपड़ा मिलों की यूनियनों के पदाधिकारी भारतीय मजदूर संघ में आ मिले।

कानपुर में 1988 में हुए अधिवेशन में 2000 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए।

18. बिहार :-

राज्य श्रमिक सलाहकार मंडल में भारतीय मजदूर संघ को 10, इंटक को 9 तथा अन्य संगठनों को एक - एक स्थान मिला हुआ है। केन्द्रीय श्रम संगठनों की राज्य में स्थिति की ही यह अभिव्यक्ति है।

हाल ही में भा.म.सं. ने पाटलीपुत्र औद्योगिक क्षेत्र, कोसी, मोंगीर - भोजपुर की ग्रामीण बैंकों में काम बढ़ाया है। आंगन वाड़ी कर्मचारियों में भी काम पहुंचाया है।

स्वर्ण रेखा वाच फैक्ट्री, रांची तथा सुरेश अल्युमोनियम पटना में भा.म.सं. की यूनियनें मान्यता प्राप्त हैं। 12 अप्रैल 1990 को 15000 मजदूरों ने राज्य विधान सभा के सामने प्रदर्शन कर मांग पत्र प्रस्तुत किया।

13 जुलाई 1988 को भारतीय मजदूर संघ के तत्कालीन अध्यक्ष का स्वागत एवं सम्मान किया गया।

राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों के एवं कृषि/ग्रामीण मजदूरों के अभ्यास वर्ग सम्पन्न किये गये। न्यूनतम वेतन में सुधार तथा भविष्य निधि आदि मांगों को लेकर साहबगंज पत्थर खदान के 2000 मजदूरों ने प्रदर्शन किया। कुल 450000 सदस्यों में महिला सदस्यों की संख्या 26000 से अधिक है। कृषि एवं ग्रामीण मजदूरों की संख्या 94000 है।

19. पश्चिम बंगाल :-

राज्य के 17 जिलों में से 11 में भारतीय मजदूर संघ की यूनियनें हैं इन 11 जिलों में जिला समितियां भी गठित की गई हैं। स्थिति परिवर्तन के कारण सीटू से सम्बद्ध छः यूनियनें भारतीय मजदूर संघ के पास आई हैं। इन में से दो राज्य प्राधिकरणों के कर्मचारियों की है।

जुलाई 1988 में 250 कार्यकर्ताओं ने औद्योगिक विवाद कानून संशोधन विधेयक के विरोध में गिरफ्तारी दी। वीर भूमि जिले के कोयला खदान क्षेत्र में कार्य का विस्तार हुआ है।

तीन साल से बन्द केसोराम मिल-एक लम्बे आन्दोलन के बाद इस साल पुनः चालू हो गई है।

20. आसाम :-

रेलवे, प्रतिरक्षा, बैंक, जीवन बीमा निगम डाक और टेलीफोन विभागों के हमारे महासंघों की इकाईयां आसाम में भी कार्यरत हैं। इनके अतिरिक्त बागानों, तेल और प्राकृतिक गैस, कपड़ा मिल, इंजीनियरिंग, होटल, दुकानों, आटा चक्कियों, कागज उद्योग और निजी परिवहन में भी भारतीय मजदूर संघ का काम है।

अभी तक बागानों में वेतन निर्धारण केवल मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ समय समय पर समझौते से होता था। भारतीय मजदूर संघ ने न्यूनतम वेतन कानून के अन्तर्गत त्रिपक्षीय व्यवस्था की मांग की। परिणामतः भा.म.सं. को त्रिपक्षीय कमेटीयों में प्रतिनिधित्व न होने के बावजूद मजदूरों को रु० 4.50 प्रतिदिन की वेतन वृद्धि का लाभ मिला।

चालीस दिनों की हड़ताल के बाद आटाचक्की मजदूरों को रु० 200/- प्रतिमाह की वेतन वृद्धि मिली। प्रतिरक्षा विभाग के अन्तर्गत सीमा सड़क प्रकल्प के मजदूर अपनी मांगों के लिए बातचीत कर रहे हैं। 16-7-90 से ही हड़ताल शुरू हो गई थी। हड़ताल का आह्वान भा.म.सं. ने ही किया था जिस के कारण बराक घाटी और मिझोरम में पूर्ण हड़ताल रही।

तेल प्राकृतिक गैस कमीशन के कर्मचारियों के बराबर वेतन – ठेकेदार के मजदूर को भी एक सा काम एकसा दाम के सिद्धान्त के अनुसार मिलना चाहिये। इसके लिए प्रयास चल रहा है।

कार्यकर्ताओं के लिए नियमित प्रशिक्षण वर्ग चलते हैं। इसमें 150 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। 15 में से 6 जिलों में जिला समितियां बनी हैं।

अरूणाचल, नागालैण्ड, त्रिपुरा, मणीपुर

इन चार पहाड़ी राज्यों में कोई औद्योगिक गतिविधि नहीं है फिर भी प्रत्येक राज्य में कम से कम एक पंजीकृत यूनियन कार्यरत है। त्रिपुरा और मणिपुर में भारतीय डाक कर्मचारी महासंघ तथा टेलिफोन कर्मचारी महासंघ की इकाईयां कार्यरत हैं। राज्य स्तर की समितियां भी बनाई गई हैं।

21. उडीसा :-

फुलवनी, संबलपुर, क्योंझर जिलों में भारतीय मजदूर संघ ने इस काल खण्ड में प्रवेश किया है। सहकारी क्षेत्र – बैंक, लोह खदानें, और प्रतिरक्षा उद्योग में भी हमारा प्रवेश हुआ है।

अखिल उड़ीसा महिला कर्मचारी एसोसिएशन की पूरे उड़ीसा में शाखाएं हैं और आंगनवाड़ी कर्मचारियों की यह एकमेव यूनियन है।

कुल 27 हजार सदस्यों में 10000 से अधिक महिलाए हैं। भुवनेश्वर में एक विशाल प्रदर्शन किया गया। 1200 से अधिक ने गिरफ्तारी दी।

2000 से अधिक आकस्मिक मजदूरों ने 12 सितम्बर 89 को न्यूनतम वेतन की मांग पर प्रदर्शन किया। राज्य सरकार द्वारा यूनियन के पंजीयन की फीस रु० 5 से 200 करने पर भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध मजदूरों ने इसका विरोध श्रम आयुक्त के कार्यालय पर प्रदर्शन कर दिया। यह आदेश बाद में वापस ले लिया गया।

1[illegible] जिलों में से 8 में भा.म.सं. की यूनियनें हैं।

1. ओरिसा की आंगनवाडी महिलाओं का मोर्चा
Anganwadi Lady workers of Orissa in a proession.

2. बुलढाणा जिले के जामोद में वनवासियों की सभा 19-2-89
Tribal People at a meeting in Jamod, Buldhana district. 19-2-89

3. महिला कार्यकर्ताओं की कार्यशाला हैदराबाद 7-8 मार्च, 1990
A workshop for women Activists Hydrabad 7-8 March, 1990.

4. अंतरर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में भामस प्रतिनिधि जून 1990
BMS representative in ILO conference June, 1990.

महासंघों का वृत्त

भारतीय रेलवे मजदूर संघ :- पटियाला, पंजाब में नये शुरू हुए रेल कारखाने में यूनियन गठित करने के प्रयास इस कालखण्ड में सफल हुए। 800 कर्मचारी नई यूनियन के सदस्य बने। अन्याय से नकारी गई मान्यता रेलवे बोर्ड से प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किये गये। सर्वोच्च न्यायालय में चल रहे प्रकरण में यह निर्णय दिया कि नियमानुसार 30 दिन के अन्दर मान्यता दी जावे, अन्यथा शासन लिखित रूप में कारण बतायें। किन्तु रेल प्रशासन ने ऐसे कुछ नियमों का, जिनको रेलवे के कोड में कोई स्थान नहीं है, हवाला देकर मान्यता देने से इन्कार कर दिया है। मामला अभी भी न्यायालय के पास है, निर्णय के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

रेलवे बोर्ड अपनी जिद पर है। हम आशा करते हैं कि वह नकारात्मक रुख छोड़ कर भारतीय रेलवे मजदूर संघ के साथ उचित बर्ताव करेगा।

इस स्थिति के बावजूद संगठनिक ढांचे को मजबूत बनाने के लिये कई आन्दोलन, हस्ताक्षर अभियान और सरकारी कर्मचारियों के "मांग दिवस" में सहभाग आदि कार्यक्रम किये गये। 1974 की अविस्मरणीय रेल हड़ताल की स्मृति में हरसाल कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। 23 जुलाई को पूरी कार्यसमिति ने रेल मंत्री निवास पर धरना दिया महासंघ की सबसे पहली यूनियन - 'पूर्वोत्तर रेलवे श्रमिक संघ' ने गोरखपुर में 1988 में रजत महोत्सव मनाया।

भारतीय रेलवे मजदूर संघ का 9 वां अधिवेशन वाराणसी में दिसम्बर 1989 में सम्पन्न हुआ।

भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ -

अन्यान्य जगहों पर हुए वर्क्स कमेटियों और केन्टीन कमेटियों के चुनाव में जिस तरह भा.प्र.म.सं. के नुमाइन्दों ने अन्य यूनियनों के नुमाइन्दों को पछाड़ा है, उससे स्पष्ट है कि भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के फैलाव और प्रभाव में वृद्धि निरन्तर हो रही है। सरकार के कारखानों के निजीकरण की नीति के विरुद्ध संघ का "संघर्ष जारी है। अंबाझरी, नागपुर और बम्बई केपास अम्बरनाथ आदि के कारखानों के दमन के शिकार कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाने में उसे सफलता मिली है।

"मान्यता दो" और "निजीकरण नहीं" की दो मांगों पर दिल्ली में भा.प्र.म.सं. ने दो प्रदर्शन किये।

मान्यता की मांग को लेकर दिसम्बर 1990 में प्रधानमंत्री के निवास पर धरना देने का निर्णय प्रतिरक्षा मजदूर संघ की केन्द्रीय कार्यसमिति ने लिया है। प्रतिरक्षा क्षेत्र में – "निजीकरण बन्द हो" "भरती पर रोक समाप्त हो" और "सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन मंडल" इन मांगों को लेकर नवम्बर 90 में मांग सप्ताह मनाने का निर्णय भी महासंघ ने लिया है।

भा.प्र.म.सं. का गत अधिवेशन दिसम्बर 1989 में अबांझरी में सम्पन्न हुआ।

अखिल भारतीय खदान (कोयला) मजदूर संघ :-

कोल इंडिया लिमिटेड एवं आन्ध्र प्रदेश एवं केन्द्रीय सरकार के साझे स्वामित्व की खदानों में अ.भा.ख.म. संघ प्रभावी यूनियनों में से एक है। कोयला खदानों से सम्बद्ध सभी कमेटियों में उसे प्रतिनिधित्व दिया गया है। सरकार द्वारा जे.बी.सी.सी. (संयुक्त सौदा समिति) में न्यायोचित मात्रा में प्रतिनिधित्व न देने के बावजूद द्विपक्षीय समिति में चौथा वेतन समझौता सम्पन्न कराने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मजदूरों के आवासीय सुविधाओं के लिए अधिक प्रावधान करवाने के प्रयास अ.भा. ख.म.सं. कर रहा है। इसकी 18 यूनियनें हैं। उनकी सदस्य संख्या 2 लाख है।

1988-89 में क्षेत्रश: एक के बाद एक आयोजित अभ्यास वर्ग में 750 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कोयला मजदूरों की मांगों के लिये धरने और प्रदर्शन भी किये गये। दिसम्बर 1989 में नागपुर में सम्पन्न अधिवेशन में 1000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

भारतीय इंजीनियरिंग मजदूर संघ :-

अभी अभी बना यह युवा महासंघ तेजी से बढ़ रहा है। अब इसकी 260 यूनियनें और 1 लाख 80 हजार सदस्य संख्या है।

तृतीय अधिवेशन भरतपुर, राजस्थान में हुआ जिसमें 207 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। श्रमिक शिक्षा संस्थान बम्बई द्वारा इस महासंघ के लिए नेतृत्व विकास का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया गया।

13 राज्यों में भा.इ.म.सं. की यूनियनें कामकर रही हैं।

अखिल भारतीय कृषि मजदूर संघ :-

गत रिपोर्ट में दी गई संख्या 61 से अब इस महासंघ की यूनियनों की संख्या 71 हो गई है।

महासंघ ने कई बड़े बड़े मोर्चे और प्रदर्शन किये हैं। हरनोत बिहार में 1000 मजदूरों के प्रदर्शन में 100 ग्रामों के कृषि मजदूरों ने हिस्सा लिया। बुलढाणा जिले के जामोद में 1500 मजदूरों ने, खेतड़ी राजस्थान में तांबा कारखाना मजदूरों को मिलाकर 3500 ने और जयपुर में 1500 मजदूरों ने भाग लिया।

इस महासंघ के सफल आन्दोलन के कारण वेलगांव ग्राम के 50 गरीब किसानों की 3 लाख रुपये कीमत की फसल, जिसे राजस्व विभाग के अधिकारी नष्ट करने जा रहे थे, बचाया जा सका। इसी प्रकार बुलढाणा जिले में आदिवासियों की 5 लाख की फसल जिसे राजस्व अधिकारी नष्ट करने लगे थे, बचाई जा सकी।

अन्तरर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण के लिये 9 राज्यों में वर्ग लगाये गये, इनमें से एक केरल के मछुआरों के लिए था।

बनवासियों की सहायता के लिए बुलढाणा में सहकारी समिति का पंजीयन किया गया है। जंगल में बसे बनवासियों के सौ गांवों के सर्वांगीण विकास की एक सर्वांगीण योजना भी महासंघ नें बनाई है।

ग्राम वासियों को पीने का पानी, राशन कार्ड जैसी समस्याओं में भी महासंघ ने सहायता की है।

अखिल भारतीय चीनी मिल मजदूर संघ :-

इसे पूरे कालखण्ड को चीनी मिल मजदूर संघ को चीनी उद्योग वेतन मंडल और उसके मजदूर विरोधी परिनिर्णय अवार्ड के विरुद्ध ही लगाना पडा।

वेतन मंडल के सामने संयुक्त मांग रखने की दृष्टि से चीनी उद्योग के सभी महासंघों ने मिल कर एक समन्वय समिति बनाई थी। अ.भा.ची. मिल मजदूर संघ इस समिति में शामिल था और सभी आन्दोलनों में इसने भाग लिया।

परिनिर्णय मजदूर विरोधी होने के कारण, कमेटी ने सरकार को सुधार की दृष्टि से स्थिति समझाई। किन्तु दुर्भाग्य से वर्तमान सरकार ने परिनिर्णय (अवार्ड) को यथावत स्वीकार कर लिया और अब यह देखा जा रहा है कि क्षेत्रश: मजदूरों और मालिकों में अवार्ड से अच्छी शर्तों पर समझौते हों। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश में समझौते हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और अन्य राज्यों में समझौते कराने के प्रयास हो रहे हैं। अप्रैल 1990 में केन्द्रीय श्रम मंत्रालय के सामने समन्वय समिति द्वारा आयोजित धरने में अ.भा.ची.मि.म.संघ के 350 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

महासंघ के मार्च 1989 में बिजनौर उ०प्र० में हुए अधिवेशन में 209 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

महासंघ से सम्बद्ध 103 यूनियनें हैं उनकी सदस्य संख्या 56886 है।

नेशनल आर्गनाईजेशन ऑफ बैंक वरकर्स :-

इस महासंघ को विवेकहीन और अंधाधुंद कम्प्युटरीकरण के विरुद्ध उसके सुविचारित दृढ रुख के कारण पांचवे द्विपक्षीय वेतन वार्ता से अलग रखा गया था। लेकिन उद्योग में भरती पर पांचवे द्विपक्षीय समझौते का प्रतिकूल असर पड़ा है। 1983 में जब ए.आय.बी. ई.ए. तथा

एन.सी.बी. भी ने पहला कम्प्युटरीकरण स्वीकार करने का समझौता किया था, 50,000 युवकों की भरती हुई थी, जो 1988 में केवल कुछ सौ हो गई। इसके बावजूद उन्हीं दोनों महासंघों ने पुन: 5 वां समझौता किया। बैंक कर्मचारी इससे खुश नहीं थे। एन.ओ.बी.डब्ल्यू. ने एक प्रहरी की भूमिका निभाई। प्रेस और प्रचार पत्रिकाओं के माध्यम से बैंक कर्मचारियों को समझौते मजदूर विरोधी होने की जानकारी दी। जगह - जगह धरने किये गये। दिल्ली इकाई की प्रतिक्रिया सर्व प्रथम थी। दिसम्बर 1988 में जब समझौते को दोनों पक्षों ने स्वीकृति के लिए लिया एन.ओ.बी.डब्ल्यू. दिल्ली इकाई ने प्रदर्शन कर समझौते की प्रति का दहन किया और गिरफ्तारियां दी। इसका प्रभाव पड़ा और अस्थायी समझौते में एन.ओ.बी.डब्ल्यू. के इस आरोप से कि दोनों महासंघ बिक गये हैं, बचने के लिए कुछ शर्तों में सुधार किया गया।

एन.ओ.बी.डब्ल्यू. ने अप्रैल 90 में एक दिन की हड़ताल का आह्वान किया भारत भर के उसके सदस्यों ने हड़ताल में भाग लिया।

इसी महासंघ के एक उपांग ग्रामीण बैंक वरकर्स आर्गनाईजेशन कर्मचारियों के लिए अन्य राष्ट्रीय कृत व्यवसायिक बैंकों के समान वेतन दिलाने की कानूनी लड़ाई जीत गया है। इस कारण इस महासंघ के काम को अच्छी गति मिली है। शीघ्र ही अपने क्षेत्र में ये अति प्रभावी संगठन हो जायेगा।

कुछ और व्यावसायिक बैंकों में एन.ओ. बी. डब्ल्यू. की शाखाएं खोली गई हैं। कलकत्ता रिजर्व बैंक की एक इकाई स्थापित होने से पूर्वी क्षेत्र में कार्य विस्तार हुआ है। 1990 के अधिवेशन में इस महासंघ ने अपना रजत महोत्सव मनाया।

भारतीय टेलीकाम एम्पलाईज फैडरेशन (बी.टी.ई.एफ.)

इस काल खण्ड में सरकार ने दूरसंचार विभाग का पुनर्गठन किया। देहली और बम्बई के टेलिफोन - महानगर टेलिफोन निगम - नाम के सार्वजनिक क्षेत्र के निगमों के सुपर्द किये गये। शेष दूर संचार विभाग नवगठित टेलिफोन कमिशन के सुपर्द किया गया है। बी.टी.ई.एफ. की गतिविधियां दोनों कमिशन - एवं निगमों के क्षेत्रों में चलती हैं।

चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिसों के पश्चात बी.टी.ई.एफ. से सम्बद्ध श्रेणी वार यूनियनों ने कर्मचारियों के श्रेणियों के पुनर्गठन का प्रश्न उठाया। पूरे प्रयास के और दूर संचार कमिशन के सिफारिशों के बावजूद दुर्भाग्य से सरकार कोई निर्णय नहीं ले सकी है। आशा है कि शीघ्र ही सरकार पुनर्गठन की समुचित योजना लागू करेगी।

पुनर्गठन के सवाल को कई आन्दोलनों द्वारा उठाया गया। महासंघ की एक युनियन टेलेकाम टैक्नीशियन्स यूनियनें (बी.टी.टी.यू.) जुलाई 1988 में नियमानुसार काम (वर्क टू रूल) का आन्दोलन किया। दुर्भाग्य से सरकार ने अन्यायपूर्ण कड़ा रूख अपनाया और कर्मचारियों को कार्य स्थान से बाहर रोक दिया, यूनियन की मान्यता छीन ली, और दमन की कार्यवाही में कर्मचारियों का स्थानांतरण और निलम्बन किया। दमन की इस पूरी प्रक्रिया के बावजूद सरकार

कर्मचारीयों के मनोबल को तोडने में सफल नहीं हुई और न ही आन्दोलन को दबा सकी। अन्तत: बी.टी.टी.यू. सरकार से सभी दमनात्मक कार्यवाही समाप्त करवाने, मान्यता पुन: प्राप्त करने में सफल हुई।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार दैनिक वेतन पाने वाले मजदूरों को नियमित कराने के लिये भारतीय टेलेकाम लाईन मेन्स यूनियन एवं मजदूर मंच द्वारा 348 दिन तक धरना दिया गया। 27000 दैनिक मजदूरों को नियमित कराने में सफलता मिली।

जम्मू काश्मीर में दूरसंचार व्यवस्था जब आतंकवादियों की हिंसक कार्यवाही से टूट चुकी थी, बीटीटी.यू. के कार्यकर्ताओं ने समय की पुकार को सुना - देश भक्ति पूर्ण समयोचित प्रतिसाद किया। वीर, साहसी और निष्ठावान कर्मचारियों द्वारा इस गड़बडी वाले क्षेत्र में जाकर टेलेफोन लाईनों को चालू रखने की तीव्र आवश्यकता थी। महासंघ के कई कार्यकर्ता समय की मांग के अनुरूप, अपनी जान जोखिम में डालकर विभाग के कार्य को निरन्तर चालू रखने के लिए श्रीनगर गये और देशद्रोहियों की दूरसंचार ठप कर देने की आशा को विफल कर दिया।

बी.टी.ई.एफ. जे.सी.एम. में नहीं है किन्तु प्रशासन इसकी ताकत से परिचित है। और समय समय पर जे.सी.एम. में शामिल महासंघों के साथ उससे भी बातचीत करता रहता है।

नैशनल आर्गनाईजेशन आफ इन्शुयरेन्स वर्कर्स :-

(आयु बीमा निगम कर्मचारी महासंघ)

इस कालखण्ड में बीमा कर्मचारियों की वेतन वृद्धि की मांगों पर समझौता सम्पन्न हुआ। वेतन वृद्धि और अन्य मांगों पर प्रबन्धकों पर सुनियोजित आन्दोलनों द्वारा दबाव लाने का श्रेय एन. ओ. आय. डब्ल्यू. को ही है।

अस्थाई बदली और अंशकालिक कर्मचारियों को नियमित करने के विषय में उनका पक्ष औद्योगिक न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने में यह महासंघ सफल रहा।

महासंघ का सातवां अधिवेशन दिल्ली में अगस्त 1989 में सम्पन्न हुआ। इसमें 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुछ और डिविजनों में अब काम शुरू हुआ है। बीमा निगम ऐसे थोड़े से उद्योगों में है जहां सामुहिक सौदेबाजी के अधिकार पर कानूनी प्रतिबंध है। इस अधिकार को पुन: प्राप्त करने के लिये एन.ओ. आय. डब्ल्यू. निरन्तर संघर्ष कर रहा है। बीमा कर्मचारियों की एक प्रमुख मांग पैंशन योजना लागू करवाने की है। इसके लिए भी एन.ओ.आय.डब्ल्यू. का संघर्ष जारी है।

एन.ओ.आय.डब्ल्यू. वार्ता पत्र (न्यूज बुलेटिन) बम्बई से नियमित प्रकाशित होता है।

भारतीय परिवहन मजदूर संघ :-

इस महासंघ की प्रगति उल्लेखनीय है। 14 राज्यों में अब इसकी इकाइयां है। सदस्यता 125000 से अधिक है।

गत अधिवेशन मई 1989 में शिमला में हुआ इसमें 1049 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

महासंघ ने डी.टी.सी. द्वारा बरखास्त किये गये 3125 कर्मचारियों की मदत के लिए धनसंग्रह करने के लिए सभी परिवहन कर्मचारियों को प्रेरित किया। इतना ही नहीं इस बरखास्तगी को राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा बनाकर अधिकांश राज्यों के परिवहन निगमों के मुख्यालयों पर प्रदर्शन आयोजित किये गये। परिवहन व्यवस्था निजी क्षेत्र में देने की नीति के विरुद्ध किये गये अन्य आन्दोलन के अन्तर्गत 10 राज्यों में 70 स्थानों पर प्रदर्शन हुए जिनमें 5000 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। फरवरी 1991 में संसद के सामने प्रदर्शन करने का प्रस्ताव है।

महाराष्ट्र इकाई की फरवरी 1989 में एक बड़ी सभा में रजत जयंती मनाई गई। महाराष्ट्र का वेतन समझौता सम्पन्न कराने में इसका सहयोग बहुत मूल्यवान था। फिर भी कि अन्ततोगत्वा यह समझते हुए कि निगम के प्रस्ताव मजदूर के हित में नहीं हैं, इसने समझौते पर हस्ताक्षरय नहीं किये।

गवर्नमेन्ट एम्पलाईज नैशनल कानफेडरेशन :-

रेलवे, प्रतिरक्षा, डाक, दूर संचार कर्मचारियों के चार महासंघों की गतिविधियों में समन्वय करने के अलावा केन्द्रीय एवं राज्य कर्मचारियों के कई एसोसिएशन इस महासंघ से सम्बद्ध हैं। केरल, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल, और राजस्थान में इससे सम्बद्ध इकाईयां हैं। अन्तिम दोनों हाल ही में जुड़ी है। राज्य सरकार के कर्मचारिया के एसोसिएशन का एक महासंघ स्थापित किया जा रहा है।

वेतन का ढांचा, वेतन वृद्धि पदोन्नति की नीति पर कुछ नये शास्त्रीय सूत्र मंडल के सामने रखने के कारण इस महासंघ की चतुर्थ वेतन मंडल के सामने प्रस्तुति की काफी सराहना की गई।

अखिल भारतीय खनिज धातु मजदूर संघ :-

कोयला खदानों से अन्य (इस महासंघ का तीसरा अधिवेशन मई 1990 में राजमहल - बिहार में हुआ। इसमें 200 प्रतिनिधि सामिल हुए। इससे सम्बद्ध 25 यूनियनों के 28 हजार सदस्य हैं। गोआ, उड़ीसा और गुजरात में अभी - अभी कार्य का विस्तार हुआ है।

चिकली-भण्डारा जिला-विदर्भ के मैंगनीज खानों में ठेकेदार के दो सौ कर्मचारियों को काम पर लेने से इन्कार कर दिया गया था। एक लम्बे आन्दोलन के बाद इन्हें काम पर रखवाया गया। इन्टक द्वारा किये गये एक समझौते के विरोध में मैंगनीज खानों में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल की गई। इसमें 1006 मजदूरों ने भाग लिया। पन्ना की हीरा खानों में मान्यता के लिये हुए गुप्त मतदान में भारतीय मजदूर संघ की यूनियन को पुनः सफलता मिली है। महासंघ को अन्य खदानों से सम्बद्ध कई कमेटियों में प्रतिनिधित्व मिला हुआ है।

भारतीय ज्यूट मजदूर संघ :-

ज्यूट उद्योग अभी भी बीमारी की हालत में है एक दुखास्था की स्थिति से गुजर रहा है।

मजदूरों पर इसका बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। पूर्व में 103 मिलों में 3.5 लाख मजदूर काम करते थे अब केवल 65 मिलें और 2 लाख मजदूर हैं। किन्तु इसके बावजूद उत्पादन बढ़कर 9 लाख टन से 14 लाख टन हो गया है।

छः मिलों में वामपंथी यूनियनों ने वेतन कटौतीयां मान ली है। किन्तु भा.ज्यू.म.सं. ने 15 मिलों में कटौति के लिए आये दबाओं का प्रतिरोध किया। परिणाम स्वरूप सदस्य संख्या बढ़ी है। कुछ नई यूनियनें भी बनी हैं। वर्तमान में 46 यूनियनें है उनकी सदस्य संख्या 46300 है ज्यूट मजदूर संघ की यूनियनें पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र और उड़ीसा में हैं।

भा० ज्यूट मजदूर संघ के प्रयासों के कारण बजबज की न्यू सेन्ट्रल ज्यूट मिल, जिसके 13000 मजदूर हैं, गत तीन वर्षों से मजदूरों की सहकारी समिति द्वारा चलाई जा रही है। इसमें पर्याप्त उत्पादन हो रहा है। मजदूरों द्वारा सफलता पूर्वक चलाये गये कुछ उपक्रमों में यह एक है।

भारतीय पल्प पेपर एण्ड स्ट्रा बोर्ड मजदूर संघ :-

यह एक नया महासंघ है। सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की इस उद्योग की 35 यूनियनें भा.म.सं. से सम्बद्ध हैं।

भारतीय वस्त्रोद्योग कर्मचारी महासंघ :-

इस महासंघ की 12 राज्यों में यूनियनें हैं। उनमें राजस्थान, केरल, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, बहुत सशक्त हैं। इस महासंघ के अखिल भारतीय आन्दोलन में सरकार की नई कपड़ा नीति के विरोध में कपड़ा मंत्रालय के सामने 255 कार्यकर्ताओं ने धरना दिया।

कानपुर में कपड़ा मिल मजदूरों ने एक सफल आन्दोलन किया जिसके कारण सरकार को के.के. पाण्डे अवार्ड को अस्वीकार करना पड़ा। इस आन्दोलन में महासंघ की महत्वपूर्ण भूमिका थी।

नैशनल टैक्सटाइल कारपोरेशन द्वारा संचालित मिलों के मजदूरों की समस्याओं के लिए महासंघ ने एक एन. टी.सी. सेल भी बनाया है।

भा.व.म.संघ का गत अधिवेशन उदयपुर राजस्थान में फरवरी 1989 में हुआ।

भारतीय इस्पात मजदूर संघ :-

भा.इ. म.सं. की 17 यूनियनें हैं - जिसमें 10 इस्पात कारखानों के मजदूरों की, चार कारखानों के स्वामित्व की खानों के मजदूरों की, शेष तीन हिन्दुस्तान स्टील कन्स्ट्रक्शन लि० के कर्मचारियों की हैं। कुल सदस्य करीब 90000 हैं। बुकारो भिलाई और बर्नपुर की यूनियनें पूर्णतया सक्रिय हैं।

किन्तु यूनियनें मान्यता प्राप्त नहीं है और उन्हें ज्वाईंट कन्सल टे टिव कमेटी में प्रतिनिधित्व नहीं है। कारखानों और खदानों के मुख्यालयों के सामने 24 अगस्त को इसके विरोध में प्रदर्शन किये गये।

अखिल भारतीय विद्युत मजदूर संघ :-

केन्द्र सरकार द्वारा गठित एक कमिटी में अ.भा.वि.म.संघ को सर्वाधिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है।

महासंघ ने 1989 में दिल्ली में शक्ति भवन के सामने धरना दिया। तीन अखिल भारतीय अभ्यास वर्ग भी आयोजित किये गये।

1988 में राज्य बिजली मंडलों के सामने मांगों के लिये धरने दिये गये। 12 राज्यों में इन धरनों में 20000 मजदूरों ने भाग लिया। एक दिन के लाक्षणिक हड़ताल के पश्चात महाराष्ट्र इकाई को 200/-रु० से 700 तक वेतन वृद्धि मिली - उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भी वेतन समझौते हुए।

एक लम्बे आन्दोलन के बाद कोटा थर्मल पावर के कर्मचारियों को वेतन के 10% हीट एलाउन्स मिला।

महाराष्ट्र इकाई ने सदस्यों की सहायता के लिये एक कल्याण कोष बनाया है।

भारतीय सीमेन्ट मजदूर संघ:-

सीमेन्ट उद्योग के विवादों पर विचारार्थ तथा उसके विकास हेतु जो पंच नियुक्त किए गए थे उनके इस्तीफे के कारण "पंच-समिति" ही समाप्त हो गई। अंत में सरकारी हस्तक्षेप से "इंडियन नैशनल सीमेंट वर्कर्स फैडरेशन" के साथ एक समझौता सम्पन्न हो गया। परन्तु सीमेन्ट उद्योग के कर्मचारियों ने इस पर आपत्ति की क्यों कि इस समझौते से उन्हें किसी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा था। अब अन्य मजदूर महासंघ उक्त अन्याय को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

इन मजदूरों के सामने और भी दो समस्याएं हैं। सीमेन्ट उद्योग के मालिक उद्योग को "बीमार उद्योग" घोषित कर रहे हैं क्यों कि उनका उद्देश्य है उद्योग के आधुनिकीकरण के नाम पर सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करना। साथ ही राज्य सरकारों के अधीनस्थ सीमेन्ट कारखानों का निजी - करण करने का भी प्रस्ताव है। अपने महासंघ - भारतीय सीमेन्ट मजदूर संघ द्वारा, इन समस्याओं के निराकरण हेतु कर्मचारियों का मार्गदर्शन हो रहा है।

भारतीय पोर्ट डॉक मजदूर संघ :-

भा.पो.डॉ. संघ का इक अधिवेशन कलकत्ते में हुआ। सरकार ने वेतन सम्बन्धी बातचीत में, इस महासंघ की सदा ही उपेक्षा की है। इसके बावजूद महासंघ कलकत्ता, बम्बई, नया मंगलौर आदि स्थानों में सफलता से आगे बढ़ा है। सम्बन्ध युनियनों की सदस्यता भी बढ़ रही है।

अखिल भारतीय बीड़ी मजदूर संघ :-

राजस्थान में, बीड़ी उद्योग में नई यूनियनें बनाई गई हैं। इस उद्योग में "बीड़ी एवं सिगार (भरती की शर्तें) कानून" का ठीक से पालन न होने के कारण मजदूरों का शोषण होता है।

अ.भा. बीड़ी मजदूर संघ इस समस्या को सुलझाने में लगा है एवं इस हेतु बीड़ी मजदूरों के - ''परिचय पत्र'' बनवा रहा है।

नैशनल आर्गनाईजेशन आफ बैंक आफीसर्स :-

राष्ट्रीयकृत 10 बैंकों एवं एक अन्य बैंक में नोबो का काम है।

महाराष्ट्र बैंक में नै.आ. बैं ऑफिसर्स (नोबो) की सदस्य संख्या अधिक है। एवं व्यवस्था बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिए उसने मांग की है।

बैंकों के व्यवस्थापक मंडल नोबो को विश्वास में नहीं लेते अत: नोबो ने वित्तमंत्रालय के सामने यह प्रश्न उठाया है।

बैंकआफ महाराष्ट्र में कार्यरत नोबों की इकाई ने, ग्राम - विकास की दृष्टि से कुछ ग्राम अपनाए हैं एवं इस तरह समाज सेवा के कार्य में हाथ बटाया है।

अखिल भारतीय केन्द्रीय सार्वजनिक प्रतिष्ठान मजदूर संघ :-

सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योगों के कर्मचारियों का यह महासंघ, विभिन्न उद्योगों में दीर्घावधि के वेतन समझौते के लिए, गत तीन वर्षों से ही प्रयत्नशील है। इस सिलसिले में उसने विरोध - प्रदर्शन, हड़ताल आदि के द्वारा सरकार पर काफी दबाव डाला।

''स्कूटर्स इंडिया'' के निजीकरण के प्रयास के विरोध में भा.म.सं. ने अन्य यूनियनों के साथ मिलकर काम किया।

इस महासंघ द्वारा, मध्य एवं दक्षिण भारत के लिये त्रिची में तथा शेष क्षेत्र के लिए कानपुर में अभ्यास वर्गों का आयोजन किया गया।

कानपुर में महासंघ का अधिवेशन भी हुआ।

विभिन्न महत्वपूर्ण परिषदों एवं समितियों में जनवरी 88 के बाद भा.म.सं. का प्रतिनिधित्व

1. त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति विद्युत उत्पादन एवं वितरण, सर्वश्री रमण गिरधर शाह (बम्बई), एस.एन. देशपाण्डेय (पुणे), अख्तर हुसैन (बुलन्दशहर) बनारसी दास ज्योतिपुरम् (जम्मू), जी० प्रभाकर (नई दिल्ली), (केन्द्रीय श्रम संघ प्रतिनिधि)
2. औद्योगिक संबंध नीति संयुक्त समिति
   श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)
3. केन्द्रीय सेवा प्रशिक्षण तथा अनुसंधान परिषद् निदेशन समिति (कलकत्ता)
   श्री बिमानेश मुखर्जी (आसनसोल)
4. निदेशन समिति ए.टी.आई. बम्बई
   श्री हरि विनायक सोवानी (पुणे)
5. निदेशन समिति ए.टी.आई. (ई.पी.आई.) हैदराबाद
   श्री आर.एल.एन. राजू (हेदराबाद)
6. निदेशन समिति ए.टी. आई. लुधियाना
   श्री रमेश पल्टा (लुधियाना)
7. सार्वजनिक प्रतिष्ठान संबंध उद्योग मंत्री का परामर्श दाता गट
   श्री आर. के भक्त (नई दिल्ली)
8. कोल परामर्श दाता समिति
   श्री एस.बी. सिंह परमार (परासिया)
9. विदेश अवस्थितों की समिति
   1. श्री रामदेव प्रसाद (पटना)
   2. श्री पी.टी. राव (अरनाकुलम्)
10. त्रिपक्षीय औद्योगिक समिति रसायन उद्योग
    श्री मुकुन्द सदाशिव गोरे (पुणे)
11. विद्युत उत्पादन प्रसारण तथा वितरण साधन संबंधी उत्पादकता परिषद्
    श्री एम.एल. झा (हरिद्वार)
12. राष्ट्रीय श्रम संस्थान (व्यापक परिषद्)
    श्री रास बिहारी मैत्र (कलकत्ता)
13. संयुक्त परामर्श दात्री समिति, भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स उपसमिति। यातायात, जलपान गृह, शिक्षा, वैल्डिंग/होट मिल भत्ता
    श्री आर. वेणुगोपाल (पालघाट)
14. केन्द्रीय परामर्श दात्री समिति समान वेतन अधिनियम 1976
    श्रीमति एस.वी. पढोले (नागपुर)

15. त्रिपक्षीय स्थाई समिति राष्ट्रीय साक्षरता अभियान
श्री आर.पी. मिश्र (नई दिल्ली)

16. राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्
1. श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा (पटना)
2. श्री उदय माधव पटवर्धन (पुणे)

17. केन्द्रीय श्रमिक शिक्षा मंडल
1. श्री जी.के. आठवले (नागपुर)
2. श्री के. जे. ठक्कर (बड़ौदा)

18. कर्मचारी राज्य बीमा निगम चिकित्सालय सुविधा परिषद्
डा० हर्षवर्धन गौतम (बम्बई)

19. कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम
1. श्री रामभाऊ जोशी (इंदौर)
2. श्री सरोज कुमार मित्रा (कटक)

20. निदेशक मंडल राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्
1. श्री ओ.पी. अग्घी (नई दिल्ली)
2. श्री सूर्यकान्त श्रीकृष्ण परांजपेय (पुणे)

21. राष्ट्रीय एकता परिषद्
श्री मनहर भाई मेहता (बम्बई)/श्री राम भाऊ जोशी (इंदौर)

22. नवीन औद्योगिक संबंध विधेयक निर्धारण संबंधी ठोस सुझाव देने हेतु द्विपक्षीय समिति
श्री जी० प्रभाकर (नई दिल्ली)/श्री आर.के. भक्त (नई दिल्ली)

23. केन्द्रीय परामर्श दात्री समिति - चूना पत्थर एवं डोलोमाईट खदान श्रम कल्याण निधि
1. श्री सुधाकर कुलकर्णी (नई दिल्ली)/2. श्री एस.एन. प्रसाद (रायपुर)

24. केन्द्रीय परामर्श दात्री समिति अभ्रक खदान श्रम कल्याण निधि
श्री सुरेश प्रसाद सिन्हा (पटना)

25. केन्द्रीय परामर्श दात्री समिति कच्चा लोहा, मैंगनीज एवं क्रोम खदान श्रम कल्याण निधि
1. श्री सुधाकर कुलकर्णी (नई दिल्ली) /2. श्री रमेश महतो (गुआ-बिहार)

26. न्यूनतम वेतन (केन्द्रीय) परामर्श दात्री समिति - न्यूनतम वेतन अधि० 1948 की धारा 8 के अन्तर्गत
1. श्री प्यारा लाल बेरी (नई दिल्ली) /2. श्री सुधाकर कुलकर्णी (नई दिल्ली)

27. पटसन परामर्श दाता मंडल
श्री बैजनाथ राय (कलकत्ता)

28. न्यूनतम वेतन परामर्श दाता मंडल न्यूनतम वेतन अधि-नियम 1948 की धारा - 7 के अन्तर्गत
श्री दिनकर जोशी (नागपुर)

29. कोयला खदान भविष्य निधि न्यासी मंडल
श्री ए.वी. चैटर्जी (परासिया)

विदेशी प्रतिष्ठितों का केन्द्र कार्यालय में बंगलौर अधिवेशन के बाद आगमन

1. श्री टिमोफीव, सह निदेशक आई.एल.ओ. कार्यालय नई दिल्ली
2. श्री सिदिबी निदेशक अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक आई.एल.ओ.
3. श्री चैन रयूई हुया, सह निदेशक अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क विभाग ऑल चायना फैड्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (एसीएफटीयू) तथा श्री ह्यू यांग अन्तरर्राष्ट्रीय सम्पर्क विभाग एसीएफटीयू
4. डा० क्लूस जुलियन वोन, प्रथम सचिव राजनैतिक एवं सामाजिक संबंध फैड्रेल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी (नई दिल्ली)
5. श्री डी.पी.ए. नायडू आई.एल.ओ. क्षेत्रीय निदेशक ग्रामीण कार्यकर्ता कार्यकलाप बैंकाक
6. श्री पटरिक क्विन निदेशक कामन वैल्थ ट्रेड यूनियन कौंसिल लंदन
7. डा० सरगूई वी. वैलिचकिन पार्षद रूसी दूतावास नई दिल्ली
8. श्री संतोष तबूसा परामर्श दाता कर्मचारी कार्यकलाप आई.एल.ओ. बैंकाक
9. मिस कैटे फिलिप्स शिक्षा अधिकारी तथा
श्री सूटलिंग स्मिथ, दोनों सीटीयूसी लन्दन से

भामसं. के गत बंगलौर अधिवेशन के पश्चात् भारत में सम्पन्न अन्तरर्राष्ट्रीय श्रम संगठन गोष्ठियां

1. आय.एल.ओ., जापान द्वारा कुछ चुने हुए दक्षिण एशियाई देशों की श्रम - प्रबन्धन सहयोग एवं उत्पादकता पर गोष्ठी -
नई दिल्ली - फरवरी 21 - 24, 1989
श्री वेणुगोपाल, (पालघाट)
2. तकनीकि सहयोग के राष्ट्र कुल फंड (कामनवैल्थ) के सहयोग से "राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद्" द्वारा बदलते तकनीक एवं उत्पादकता में सुधार" के प्रयास के संदर्भ में प्रशिक्षण नीति तथा योजना पर अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला -
नई दिल्ली - अप्रैल 3-8, 1989
श्री बी.एल. नरसिंहन् (हैदराबाद)
3. भारतीय खेती में सामाजिक आर्थिक स्थिति पर राष्ट्रीय त्रिपक्षीय कार्यशाला कुन्नूर - (तमिलनाडु) नवम्बर 27-30, 1989
श्री किरणेन्दु दत्त चौधरी (सिचर)
4. **प्रमुख आकस्मिक दुर्घटना निरोधक भारतीय योजना गोष्ठी, प्रमुख निर्देशक वक्ता :-**
श्री ए.सी. बरेल, निर्देशक, तकनीक, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा - प्रमुख यू.के. बम्बई - नव० 7,8,1989

श्री तुषार वसंत देवपुजारी, (चन्द्रपुर)
श्री आर. प्रकाश, (बंगलौर)

5. "व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य" विषय पर एशियाई उपक्षेत्रीय श्रमिक - शिक्षा कार्यशाला" । बंबई अक्तू० 8-12-1990
श्री सूर्यकांत श्रीकृष्ण परांजपे, (पुणे)
श्री टी. सी. जुमड़े, (नागपुर)

6. भारत में ॲसबेस्टस एवं अन्य रासायनिक तंतुओं के प्रयोग में उपयोगी सुरक्षा राष्ट्रीय गोष्ठी -
नई दिल्ली - अक्तू० 22-23, 1990
श्री रामावतार शर्मा, (फरीदाबाद),
श्री लक्ष्मी प्रसाद पाठक, (कैमूर - म०प्र०)

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान बम्बई द्वारा केवल भा.म.सं. कार्यकर्ताओं हेतु आयोजित कार्यक्रम -

महासंघ	भाग लेने वालों की संख्या
1. कृषि मजदूर महासंघ	5 राज्य, 18 कार्यकर्ता
2. इंजीनियरिंग महासंघ	9 राज्य, 40 कार्यकर्ता
3. चीनी मिल मजदूर महासंघ	6 राज्य, 29 कार्यकर्ता

भारतीय श्रमिक शिक्षा संस्थान बम्बई एवं राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा आयोजित अभ्यास वर्ग -

अभ्यास - क्रम	भा.म.सं. की संख्या
1. ग्रामीण मजदूर महिलाओं की समस्याएं	7 राज्य, 11 महिलाएं
2. अन्यान्य	80 कार्यकर्ता

इसके अतिरिक्त 50 से ऊपर विभिन्न गोष्ठियों, त्रिपक्षीय वार्ताओं एवं सम्मेलनों में भा.म.सं. ने प्रभावी भूमिका का निर्वाह किया यह सन्तोष का विषय है।

भारतीय मजदूर संघ की प्रदेशश: यूनियनें तथा सदस्यता दि० 31/12/89

प्रदेश	यूनियनें	सदस्यता
तमिलनाडू	26	30071
केरल	152	43,449
पांडीचेरी	2	104
करनाटक	118	92,178
आन्ध्रा प्रदेश	275	5,74,017
गोआ	6	3,029
महाराष्ट्र	166	20,3,000
विदर्भ	69	1,10,330
गुजरात	80	20,216
मध्यप्रदेश	191	1,72,950
राजस्थान	245	2,86,565
हरियाणा	132	69,113
दिल्ली	98	8,00,761
चण्डीगढ़	15	5,000
हिमाचल	4	40,131
पंजाब	190	1,25,000
जम्मू-कश्मीर	30	16,342
उत्तर प्रदेश	467	5,50,310
बिहार	166	4,56,832
उड़ीसा	24	15,739
बंगाल	156	1,62,138
असाम	18	1,11,356
नागालैण्ड	1	250
त्रिपुरा	1	450
अरूणाचल	1	175
योग	2,677	38,89,376

अन्तरर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भामसं. प्रतिनियित्व

1. श्रम प्रबन्ध संबन्ध - प्रथम प्रवेश अमरीका अक्टूबर 3-21, 1988
   श्री गजेन्द्र पाल शर्मा (अलीगढ़)

2. विकास एवं श्रम शिक्षा - व्यवस्था सामग्री संबंधी - अभ्यास वर्ग, ट्यूरिन मई -22 जून - 16, 1989
   श्री मुकुन्द सदाशिव गोरे (पुणे)

3. मजदूरों के सहभाग एवं श्रम संघों के दायित्व पर अन्तरर्राष्ट्रीय कार्यशाला, मिनूस्क (रूस)
   अगस्त 28 - सितम्बर 10, 1989
   श्री एम.एन. झा (हरिद्वार)

4. आई.एल.ओ. की एशियाई एवं पैसिफिक मजदूरों की श्रम संघों एवं जन शिक्षा पर गोष्ठी
   मनीला - अक्टूबर 10-20, 1989
   श्री अच्युत राव देशपांडेय (गोहाटी)

5. आई.एल.ओ. होटल कैटरिंग एवं पर्यटन समिति की प्रथम बैठक जनेवा - दिसम्बर 4-14, 1989
   श्री प्यारा लाल बेरी (शिमला)

6. व्यवसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य का बारहवां विश्व सम्मेलन हम्बर्ग (प० जर्मनी) मई -6-11-1990
   श्री एम. जी. पटेल (मिठापुर - गुजरात)

7. आई.एल.ओ. का 77वां सम्मेलन
   जनेवा जून -6-27, 1990
   श्री ओ.पी. अग्घी (नई दिल्ली)
   श्री आर. वेणुगोपाल (पालघाट)

8. श्रम संघों एवं संगठनात्मक ढांचे पर आई.एल.ओ. की एशियाई पैसिफिक श्रमिक शिक्षा गोष्ठी
   वोनडोंगा (आस्ट्रेलिया) अगस्त 13-24, 1990
   श्री रामदेव प्रसाद (पटना)

9. औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम अमरीका अक्तू 1990
   श्री एस. बी. सिंह (राय बरेली)